अध्याय-IV कार्यक्रम कार्यान्वयन

4.1 प्रस्तावना

एनआरडीडब्ल्यूपी को राज्यों में इसके छः संघटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें कवरेज; जल गुणवत्ता; प्रचालन और रखरखाव; स्थायित्व; सहायता तथा जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी शामिल है। इसके अतिरिक्त, जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां; मरूस्थल विकास कार्यक्रम क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदा तथा कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य उप-मिशनों हेतु भी निधियां प्रदान की जा रही है। संघटक-वार निधि की उपलब्धता तथा उसमें से व्यय की अध्याय-3 में चर्चा की गई है। इस अध्याय में इस लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल की गई अवधि के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न सघंटकों के कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है।

4.2 कवरेज

एनआरडीडब्ल्यूपी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु पाईप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं[1], हैंडपम्प, ट्यूबवैल, बोरवैल आदि को शामिल किया गया था। 11वीं योजना अवधि तक बस्तियां, जिन्हें न्यूनतम 40 एलपीसीडी स्वच्छ पेयजल प्रदान किया गया था, को पूर्णत: कवर के रूप में माना गया था। 12वीं योजना अवधि में न्यूनतम 55 एलपीसीडी के प्रावधान के मानदण्ड को एक अन्तरिम उपाय के रूप में अपनाया गया है।

4.2.1 बस्तियों के कवरेज की स्थिति

लेखापरीक्षा ने पाया कि बस्तियों को पूर्णत: कवर मानने हेतु 55 एलपीसीडी के मानदण्ड में वृद्धि के बावजूद 40 एलपीसीडी के पुराने मानदण्ड को बस्तियों को पूर्णत: कवर के रूप में मानते हेतु अपनाया गया था। दोनों 40 तथा 55 एलपीसीडी मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, पूर्णत: कवरेज के अनुसार बस्तियों के कवरेज की समग्र स्थिति **तालिका-4.1** में है:

[1] एकल ग्राम पाईप द्वारा जल आपूर्ति योजना (एसवीपीडब्ल्यूएसएस) तथा बहु-ग्राम पाईप द्वारा जल आपूर्ति योजना (एमवीपीडब्ल्यूएसएस)

तालिका-4.1: बस्तियों के कवरेज की स्थिति

अप्रैल में	कुल बस्तियां	पूर्णत: कवर की गई बस्तियां		पूर्णत: कवर बस्तियों की प्रतिशतता	
		40 एलपीसीडी	55 एलपीसीडी*	40 एलपीसीडी	55 एलपीसीडी*
2009	16,58,205	11,48,920	--	69.29	--
2010	16,60,940	11,66,448	--	70.23	--
2011	16,64,068	11,66,816	--	70.12	--
2012	16,65,957	12,31,393	6,57,693	73.92	--
2013	16,92,133	11,61,018	7,26,395	68.61	38.87
2014	16,96,546	12,49,695	7,42,121	73.66	42.82
2015	17,13,185	12,70,199	7,68,958	74.14	43.32
2016	17,14,438	12,97,431	7,65,833	75.68	44.85
2017	17,26,031	13,25,302	6,57,693	76.78	44.37

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

* 55 एलपीसीडी पर आईएमआईएस डाटा अप्रैल 2013 से उपलब्ध है

यद्यपि 40 एलपीसीडी वाली कुल बस्तियों की तुलना में पूर्णत: कवर ग्रामीण बस्तियों की प्रतिशतता 69 (2013) से 77 प्रतिशत (2017) तक बढ़ी, 55 एलपीसीडी के मानदण्ड के आधार पर कवरेज अप्रैल 2013[2] में 39 प्रतिशत से अप्रैल 2017 में 44 प्रतिशत तक बढ़ा था। लेकिन फिर भी 2017 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों के कवरेज का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। कार्यक्रम पर ₹81,168 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् ग्रामीण बस्तियों के कवरेज की प्रतिशतता 40 एलपीसीडी पर केवल आठ प्रतिशत तथा 55 एलपीसीडी पर 5.5 प्रतिशत तक बढ़ी।

अप्रैल 2013 की तुलना में अप्रैल 2017 को दोनों 40 एलपीसीडी तथा 55 एलपीसीडी के मापदण्डों के आधार पर पूर्णत: कवर की गई बस्तियों की राज्य-वार प्रतिशतता को नीचे संबंधित **चार्ट 4.1** व **4.2** में दर्शाया गया है:

[2] आईएमआईएस में 55 एलपीसीडी का डाटा 2013-14 से उपलब्ध था।

चार्ट-4.1: 40 एलपीसीडी पर पूर्णत: कवर की गई बस्तियां (प्रतिशतता में)

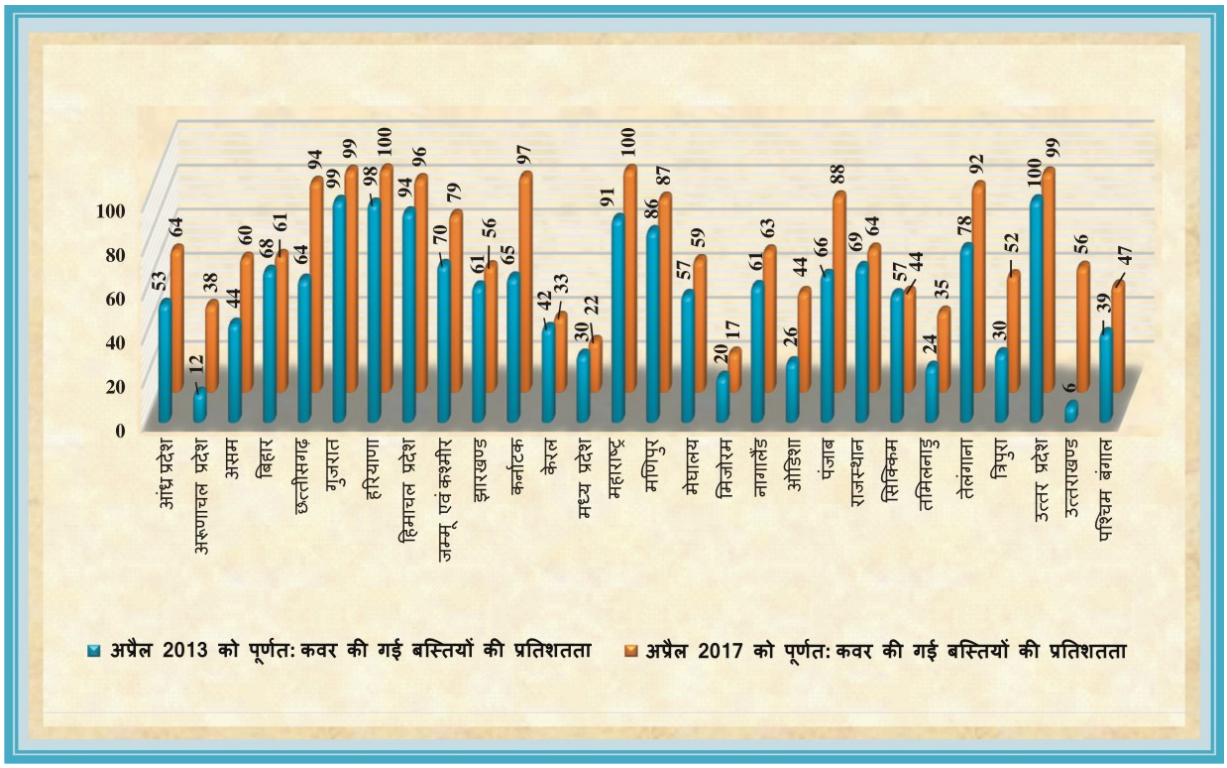

चार्ट-4.2: 55 एलपीसीडी पर पूर्णत: कवर की गई बस्तियां (प्रतिशतता में)

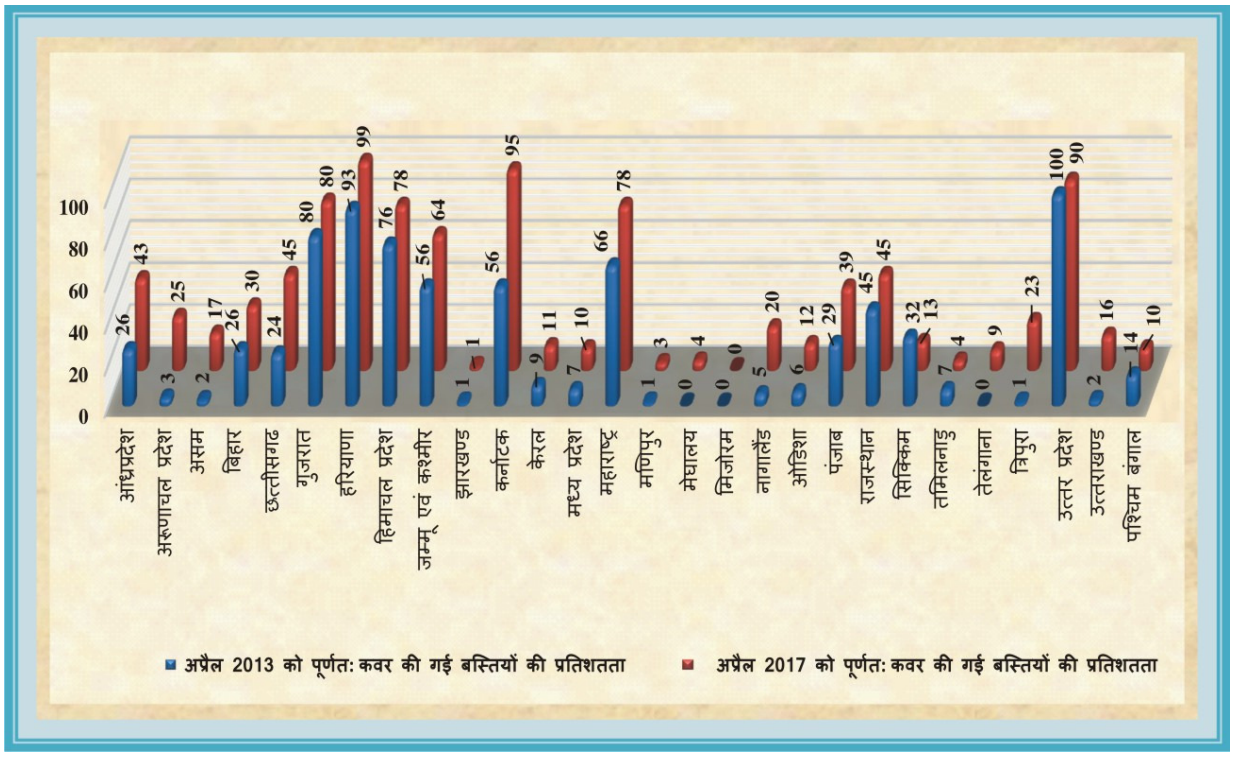

40 एलपीसीडी के मानदण्ड के आधार पर, पूर्णत: कवर की गई बस्तियों की प्रतिशतता अप्रैल 2013 की तुलना में अप्रैल 2017 में आठ राज्यों (**बिहार**, **जम्मू एवं**

कश्मीर, **कर्नाटक**, **केरल**, **मेघालय**, **पंजाब**, **राजस्थान** तथा **उत्तर प्रदेश**) में कम हुई। 55 एलपीसीडी के आधार पर, पूर्णत: कवर की गई बस्तियों की प्रतिशतता अप्रैल 2013 की स्थिति से तुलना किए जाने पर अप्रैल 2017 में चार राज्यों (**राजस्थान**, **सिक्किम**, **उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल**) में कम हुई।

4.2.2 जल उपलब्धता के आधार पर बस्तियों को प्राथमिकता न देना तथा लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता उन बस्तियों को दी जानी थी जहॉ 25 प्रतिशत से कम तथा 25 से 50 प्रतिशत आबादी की पर्याप्त स्वच्छ पेयजल तक पहुंच है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 को छोड़कर सभी वर्षों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल तक पहुंच वाली 25 प्रतिशत से कम की आबादी वाली श्रेणी में आने वाली बस्तियों का कवरेज स्वच्छ पेयजल तक पहुंच वाली आबादी की उच्च प्रतिशतता वाली श्रेणियों में आने वाली बस्तियों के कवरेज की तुलना में कम थी जैसा नीचे **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.3: आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के कवरेज में प्राथमिकता

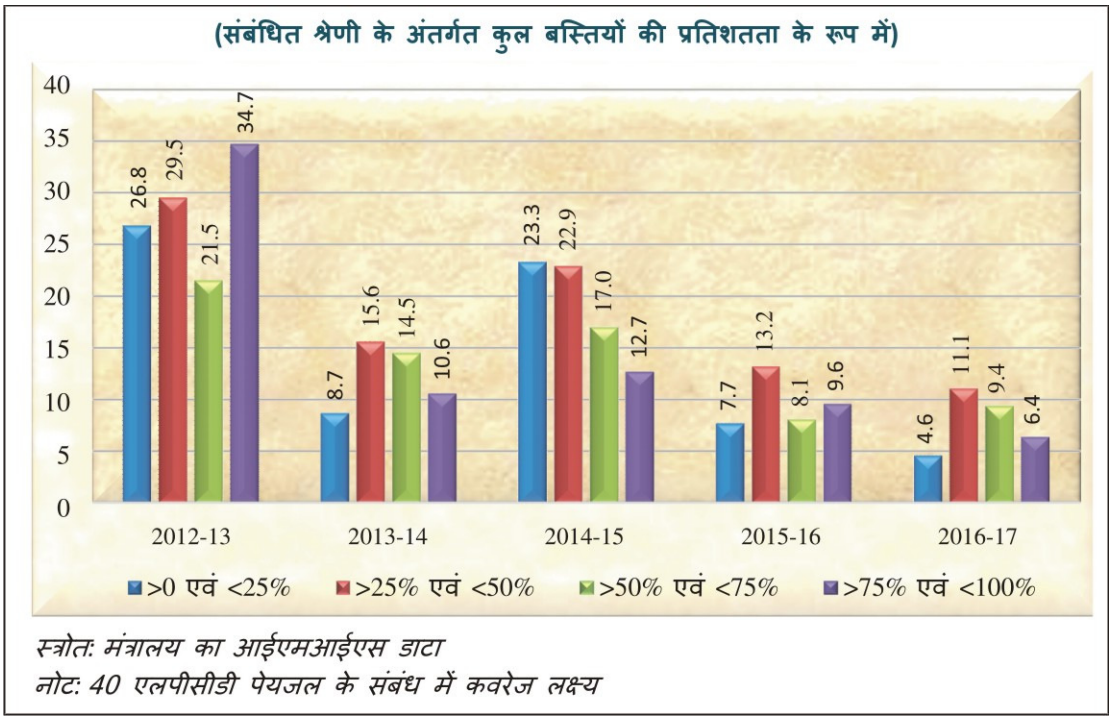

स्त्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा
नोट: 40 एलपीसीडी पेयजल के संबंध में कवरेज लक्ष्य

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने भी उजागर किया कि कवरेज में प्राथमिकता 16 राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, असम**, **बिहार**, **छत्तीसगढ़**[3], **जम्मू एवं कश्मीर**, **कर्नाटक**, **महाराष्ट्र**, **मणिपुर**, **मिजोरम**, **नागालैण्ड**, **राजस्थान**, **सिक्किम**, **तेलंगाना**, **त्रिपुरा**, **उत्तर प्रदेश** तथा **उत्तराखण्ड** में उन बस्तियों को प्रदान नहीं की गई थी जहॉ 50 प्रतिशत से कम आबादी को स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच थी।

इसके अतिरिक्त, बस्तियों की तीन श्रेणियों अर्थात् 25 प्रतिशत, 25 से 50 प्रतिशत तथा 75 से 100 प्रतिशत में बस्तियों को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि में भी कमी थी। प्रतिशतता कमी उन बस्तियों में अधिक थी जिनको कवरेज हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी जैसा नीचे **तालिका-4.2** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-4.2: बस्तियों के कवरेज के लक्ष्य तथा उपलब्धि

2012-17	> 0 एवं < 25%	> 25% एवं < 50%	>50% एवं < 75%	> 75 एवं < 100 %
लक्षित बस्तियां	51,918	79,653	73,352	72,176
उपलब्धि	42,709	68,990	75,049	69,774
कमी	9,209 (17.7%)	10,663 (13.4%)	---	2,402 (3.3%)

यह स्पष्ट था कि कार्यान्वयन योजनाओं को दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया जा रहा था तथा संसाधनों को ग्रामीण आबादी के उस वर्ग पर क्रेन्द्रित नहीं किया जा रहा था जहाँ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सबसे कम थी।

4.2.3 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के लिए प्राथमिकता में कमी तथा लक्ष्य की प्राप्ति न होना

कार्यक्रम दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देते समय गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। तथापि यह देखा गया था कि 30 प्रतिशत से कम गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को 2012-15 की अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित किया गया था। बस्तियों की इस श्रेणी के संबंध में लक्ष्यों को पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान आगे 20 प्रतिशत तक कम किया गया था। गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करने के लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि में 23 तथा 34 प्रतिशत के बीच की कमी भी थी जैसा **चार्ट-4.4** में दिया गया है:

[3] तीन जिलों में- कावार्धा, बस्तर तथा सूरजपुर

चार्ट-4.4: जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के लक्ष्य तथा उपलब्धि

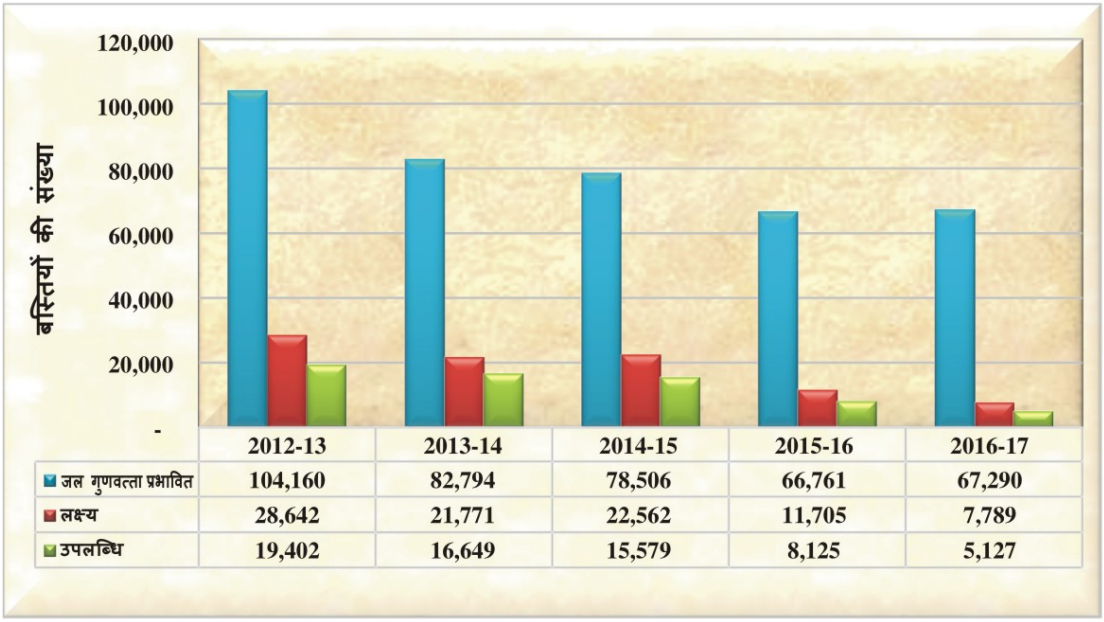

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जल गुणवत्ता प्रभावित	104,160	82,794	78,506	66,761	67,290
लक्ष्य	28,642	21,771	22,562	11,705	7,789
उपलब्धि	19,402	16,649	15,579	8,125	5,127

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

प्राथमिकता की कमी, लक्ष्यों में कटौती तथा उपलब्धि में कमी जल गुणवत्ता मामलों का समाधान करने हेतु योजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन दोनो में अपर्याप्त संकेन्द्रण के सूचक थे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि पेयजल स्रोतों में रसायनिक संदूषण प्रवृति में जियो-जैनिक था परंतु यह कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के कम हुए/निम्न कवरेज तथा लक्ष्यों के संबंध में कमियों को स्पष्ट नहीं करता।

4.2.4 जल आपूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन

आईएमआईएस[4] में डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि 3,89,295 पाईप द्वारा जल योजनाओं सहित 12,38,642 योजनाओं[5] को 2012-17 के दौरान निष्पादन हेतु लिया गया था। 1 अप्रैल 2012 को 1,39,525 चालू योजनाओं सहित कुल 13,78,167 योजनाएं थी जिन्हें अवधि के दौरान निष्पादित किया जा रहा था। इसके प्रति कुल 12,43,723 योजनाओं जिसमें 4,13,430 पाईप जल योजनाएं तथा हैंडपम्प/बोर

[4] 26 फरवरी 2018 को फार्मेट बी-22

[5] केवल पाईप द्वारा जल तथा हैण्ड पम्प/बोर वैल योजनाएं

वैल/ट्यूब वैल पर आधारित 8,30,293 योजनाएं शामिल हैं, को 2012-17 के दौरान पूरा किया गया जैसा **तालिका-4.3** में दिया गया है:

तालिका-4.3: जल आपूर्ति योजनाओं की संख्या

वर्ष	पीडब्ल्यूएस तथा हैंडपम्प /बोर वेल योजनाएं				पीडब्ल्यूएस				पीडब्ल्यूएस की प्रतिशतता	
	चालू	चयनित	पूर्ण किया गया	बकाया/चालू	चालू	चयनित	पूर्ण किया गया	बकाया/चालू	चयनित	पूर्ण किया गया
2012-13	139525	342908	329051	153382	81826	119000	104226	96600	34.70	31.67
2013-14	153382	341046	340975	153453	96600	120744	108271	109073	35.40	31.75
2014-15	153453	310618	309879	154192	109073	88732	97285	100520	28.57	31.39
2015-16	154192	157480	208256	103416	100520	43892	76553	67859	27.87	36.76
2016-17	103416	86590	55562	134444	67859	16927	27095	57691	19.55	48.77
कुल		**1238642**	**1243723**			**389295**	**413430**		**31.43**	**33.24**

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस

मंत्रालय ने केन्द्र तथा राज्य के बीच संशोधित निधियां विभाजन प्रतिमान को सूचित[6] (जनवरी 2016) करते हुए चालू परियोजनाओं से संबंधित बकाया देयताओं को देखते हुए फ्लोराईड तथा आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बस्तियों को छोड़कर नई परियोजनाएं प्रारम्भ करने पर प्रतिबंध लगाया। यह 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान प्रारम्भ नई योजनाओं की संख्या में तीव्र गिरावट का कारण बना। चालू[7] योजनाओं की प्रतिशतता की तुलना में पूर्ण योजनाओं की प्रतिशतता 2012-13 से 2015-16 के दौरान 67-68 प्रतिशत से 2016-17 में 29 प्रतिशत तक कम हुई।

12वीं योजना (2012-17) में पाईप जल आपूर्ति (पीडब्ल्यूएस) योजनाओं पर जोर दिया गया था। 2012-17 के दौरान प्रारम्भ कुल योजनाओं[8] की तुलना में पाईप जल योजनाओं की प्रतिशतता 19 से 35 प्रतिशत के बीच थी तथा अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष घटती रही थी। प्रारम्भ की जा रही पीडब्ल्यूएस की पूर्ण संख्याओं में भी गिरावट थी। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 12वीं योजना में अभिकल्पित पीडब्ल्यूएस पर सकेन्द्रण को वास्तविक नियोजन तथा कार्यान्वयन में नहीं दर्शाया गया था।

---

6 एमओडीडब्ल्यूएस का पत्र संख्या डब्ल्यू-11011/36/2015- जल दिनांक 1 जनवरी 2016

7 चालू+चयनित योजनायें

8 40 एलपीसीडी के आधार पर पाईप जल तथा हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल योजनाएं

कार्यनीति योजना तथा कार्यक्रम दिशानिर्देशों में नियत अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी[9] को 2017 तक उनके आवासीय परिसर[10] में 55 एलपीसीडी पाईप द्वारा पेयजल प्रदान किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2017 तक 55 एलपीसीडी पेयजल के प्रावधान के अंतर्गत केवल 18.4 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को ही पाईप द्वारा जल आपूर्ति की गई, जो प्रक्षेपित लक्ष्य से काफी कम थी। 31 दिसंबर 2017 को पाईप द्वारा जल आपूर्ति के अंतर्गत शामिल आबादी तथा पाईप द्वारा जल आपूर्ति के बिना आबादी की प्रतिशतता के संबंध में स्थिति **तालिका-4.4** में दी गई है:

तालिका-4.4: पीडब्ल्यूएस योजनाओं में शामिल आबादी (दिसंबर 2017)

	कुल आबादी	पीडब्ल्यूएस में शामिल			पीडब्ल्यूएस के बिना
		पूर्णत: कवर	आंशिक रूप से कवर	गुणवत्ता प्रभावित	
आबादी (लाख में)	9,199.0	1,688.7	3,167.9	322.0	4,020.4
आबादी (प्रतिशत में)	--	18.4	34.4	3.5	43.7

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

कार्यनीति योजना तथा कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास 2017 तक व्यक्तिगत घरेलू पेयजल कनेक्शन दिए जाने थे। ग्रामीण परिवारों के संबंध में, कुल 17.91 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.02 करोड़ अर्थात् 16.85 प्रतिशत परिवार ही दिसंबर 2017 तक पाईप जल कनेक्शन द्वारा कवर थे। पाईप जल आपूर्ति कनेक्शनों द्वारा ग्रामीण परिवारों के कवरेज की स्थिति विभिन्न राज्यों के बीच बड़े पैमाने पर भिन्न थी जैसा **तालिका-4.5** में दर्शाया गया है:

[9] कार्यनीति योजना के अनुसार 55 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पीडब्ल्यूएस से कवर किया जाना था।

[10] या फिर सामाजिक अथवा वित्तीय भेदभाव की बाधा के बिना उनके आवास से 100 मीटर तक की क्षैतिज अथवा ऊर्ध्व दूरी पर

तालिका-4.5: पाईप जल कनेक्शन वाले परिवारों की स्थिति

पाईप जल कनेक्शनों द्वारा ग्रामीण परिवारों के सबसे ज्यादा कवरेज वाले पांच शीर्ष राज्य	कवरेज (प्रतिशत में)	पाईप जल कनेक्शनों द्वारा ग्रामीण परिवारों के सबसे कम कवरेज वाले पांच राज्य	कवरेज (प्रतिशत में)
सिक्किम	99.32	उत्तर प्रदेश	**0.53**
गुजरात	72.82	पश्चिम बंगाल	**0.67**
हिमाचल प्रदेश	56.62	मेघालय	**1.15**
हरियाणा	47.68	बिहार	**1.22**
पंजाब	**47.56**	**असम**	**2.05**

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

इसके अतिरिक्त, पाईप जल आपूर्ति से ग्रामीण परिवारों का कवरेज 17 राज्यों, **अरूणाचल प्रदेश**, **असम**, **बिहार**, **छत्तीसगढ़**, **झारखण्ड**, **केरल**, **मध्य प्रदेश**, **मणिपुर**, **मेघालय**, **मिजोरम**, **नागालैण्ड**, **ओडिशा**, **राजस्थान**, **त्रिपुरा**, **उत्तर प्रदेश**, **उत्तराखण्ड** तथा **पश्चिम बंगाल** में 16.85 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से कम था।

गुजरात

सात जिलों में 945 ग्रामों को 2012 तथा 2017 के बीच निष्पादित तथा पूर्ण की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 142 ग्रामों को तकनीकी समस्याओं जैसे कि अंत के ग्राम में कम जल दाब, अनिवार्य अवसरंचना की अनुपलब्धता, तथा ग्राम में आंतरिक पाईपलाईन नेटवर्क की कमी के कारण जल नहीं मिल रहा था।

दस चयनित जिलों में से तीन में पेय जल की अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धता के कारण 2012-13 से 2016-17 के दौरान चार से 193 ग्रामों को टैंकरों के माध्यम से 17,47,075 हजार लीटर जल की आपूर्ति की गई थी। तथापि, राज्य के अभिलेखों के अनुसार सभी बस्तियां पूर्णत: कवर थीं।

लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- 2,322 चयनित नमूनों में से 139 बस्तियों को पूर्णत: कवर के रूप में वर्गीकृत किया गया था जबकि जल आपूर्ति उपलब्धता 40 एलपीसीडी से कम थी।
- 28,586 लाभार्थियों में से 3,422 (12 प्रतिशत) ने सूचित किया कि जल आपूर्ति योजनाएं गैर-क्रियात्मक थीं। इसमें घरेलू कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल प्राप्त कर रहे 572 लाभार्थी तथा सामुदायिक कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्राप्त कर रहे 2,850 लाभार्थी शामिल थे।
- बिहार के जिला कैमूर (भाबूआ) में पाईप जल आपूर्ति योजना (टोरी पंचायत में भंगवानपूर पीडब्ल्यूएस) नदी के सूखने के कारण गर्मी के मौसम में बंद थी। इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यूएस के लाभार्थियों ने बताया कि जल दाब काफी कम था तथा जल आपूर्ति अनियमित थी।

4.2.5 जल आपूर्ति योजनाओं के समापन में विलम्ब

आईएमआईएस[11] के अनुसार 22,617 चालू योजनाओं में से 10,937 योजनायें बिना किसी विलम्ब के पूर्ण हुई थीं जिसका आइएमआइएस पर अपडेट था जबकि शेष 11,680 योजनाएं **चार्ट-4.5** में दर्शाए गए कारणों से विलम्बित थीं:

चार्ट-4.5: योजनाओं के समापन में विलम्ब

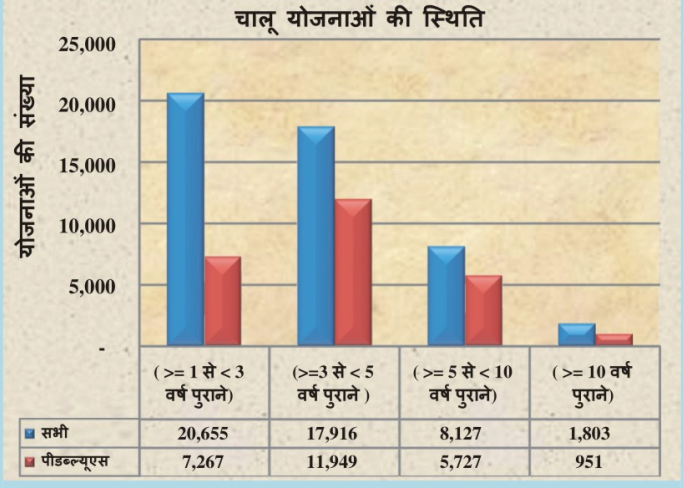

विलम्ब[12] के कारण	योजनाओं की संख्या
निधियों की कमी	4,947
योजनाओं को प्रारम्भ न करना	1,747
प्रतीक्षित सांविधिक अनुमति	1,273
स्त्रोत संबंधी समस्याएं	932
भूमि की अनुपलब्धता	648
सामग्री उपलब्ध न होना	426
पाईपलाईन डालने पर विवाद	389
संविदात्मक/मध्यस्थता तथा अन्य समस्याएं	364
निविदा संबंधी समस्याएं	409
परिवहन/अगम्यता समस्या	321
बिजली/विद्युत समस्याएं	224

[11] 14 दिसंबर 2017 को

[12] आईएमआईएस (ए-8) 13 दिसम्बर 2017 के अनुसार

इस प्रकार, 57.31 प्रतिशत योजनाएं प्रशासनिक कारणों, 19.78 प्रतिशत निर्माण स्थल संबंधी कारणों, 11.63 प्रतिशत निर्माण संबंधी मामलों, 6.62 प्रतिशत संविदा संबंधी मामलों के कारण विलम्बित थीं तथा 4.67 योजनाएं अवसरंचना के मामलों के कारण विलम्बित थीं।

4.2.6 अपूर्ण निर्माण कार्य

चयनित प्रभागों में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि ₹4,293.49 करोड़ की अनुमानित लागत के 437 निर्माण कार्य ₹1,667.46 करोड़[13] (मार्च 2017) का व्यय करने के पश्चात भी 16 राज्यों में अपूर्ण रहे। यह निर्माण कार्य लंबित सुरंग कार्य, संबंधित प्राधिकरणों से अनुमतियों/अनापत्ति के अभाव में, भूमि विवाद, ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों के गैर-निष्पादन, निधियों की कमी, जल आपूर्ति के स्रोत में परिवर्तन तथा सामग्री की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण रहे जैसा **अनुबंध-4.1** में ब्यौरा दिया गया है। इसने निर्माण कार्यों के निष्पादन के संबंध में संहिता प्रावधानों जैसे कि बाधा मुक्त स्थल को सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा निर्माण कार्यों को सौंपने ने पूर्व अपेक्षित सांविधिक अनुमतियों की सामयिक प्राप्ति, निर्माण कार्यों के बाधा रहित निष्पादन को सरल बनाने हेतु वास्तविक डिजाईनों तथा अनुमान तैयार करने को सुनिश्चित करने हेतु उचित स्थल सर्वेक्षण तथा जांच के गैर-अनुपालन के साथ-साथ प्रशासनिक लापरवाही तथा उनके सामयिक समापन हेतु ध्यान की कमी को दर्शाया। कुछ निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

आन्ध्र प्रदेश: जल निकासी के स्रोत के रूप में गांदीकोटा जलाशय के साथ नियोजित जे.सी. नेगी रेड्डी पेयजल आपूर्ति परियोजना को ₹508 करोड़ की लागत पर मई 2006 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। योजना को अक्तूबर 2009 को समापन की लक्षित तिथि के साथ जून 2007 में निष्पादन हेतु प्रारम्भ किया गया था। तथापि, योजना ओक जलाशय से गांदीकोटा जलाशय तक सुरंग निर्माण कार्य के गैर-समापन के कारण अपूर्ण रही। राज्य सरकार ने नवम्बर 2013 में इस योजना को चालू करने हेतु दो जल स्रोतों (गांदीकोटा तथा मिड पेन्नार बांध) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। फिर भी इसे कार्यान्वित नहीं किया गया था। इस प्रकार, 561 बस्तियों को जल प्रदान करने हेतु जून 2007 में प्रारम्भ योजना तो दस वर्षों तथा ₹365.88 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण रही।

[13] 417 निर्माण कार्यों के संबंध में

असम: हेलाकांडी (चार योजनाएं) तथा जोरहाट (छः योजनाएं) प्रभागों में नवम्बर 2015 तथा फरवरी 2017 के बीच पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के साथ ₹136.24 करोड़ की अनुमानित लागत पर मार्च 2013 तथा जून 2014 के बीच निष्पादन हेतु प्रारम्भ दस निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा निर्माणकार्यों के गैर-निष्पादन/धीमी प्रगति के कारण अपूर्ण रहे। योजनाओ के गैर-समापन ने 1,37,088 आबादी को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल के प्रत्याशित लाभ से वंचित करने के अतिरिक्त अब तक किए गए ₹70.33 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

बिहार: पटना जिले में मनेर की 45 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों हेतु 8.95 मीलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता वाली धरातल जल आपूर्ति योजना के निर्माण कार्य को ₹62 करोड़ की लागत पर जून 2009 में प्रारम्भ किया गया था तथा इसे जून 2011 तक पूर्ण किया जाना था। मार्च 2011 तक 75.28 किलोमीटर के पाईप डालने के पश्चात जल के स्रोत को विभिन्न सरंचनाओं के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के कारण भू-जल में परिवर्तित कर दिया गया था। दिसंबर 2016 में निष्पादित योजना हेतु संशोधित अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य को अगस्त 2017 तक पूर्ण किया जाना था परंतु धीमी प्रगति के कारण अनुबंध को जुलाई 2017 में रद्द कर दिया था। निर्माण कार्य पर ₹45.35 करोड़ का व्यय किया गया था। अपूर्ण निर्माण कार्य ने 45 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में 1.70 लाख की आबादी को आठ वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी पेयजल प्राप्त करने से वंचित किया।

हिमाचल प्रदेश: जिला बिलासपुर में सदर, गुमार्विन तथा झंडूटा ब्लॉकों में आंशिक रूप से कवर बस्तियों को कोल बांघ जलाशय से जल स्रोत के साथ 41 योजनाओं के स्रोत स्तरीय संवर्धन को तकनीकी रूप से जुलाई 2009 में ₹47.08 करोड़ हेतु संस्वीकृत किया गया था। निर्माण कार्य को ₹49.62 करोड़ की लागत पर जून 2010 में ठेकेदार को प्रदान किया गया था जिसे जुलाई 2012 तक समाप्त किया जाना था। तथापि निर्माण कार्य ₹38.99 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी पम्पिंग मशीनरी की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण रहा क्योंकि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य निजी भूमि मालिक के साथ विवाद के कारण रोक दिया गया था।

झारखण्ड: जिला साहिबगंज में, चार ब्लाकों में 58 ग्रामों हेतु गुणवत्ता प्रभावित संघटक के अंतर्गत एक विशाल जल आपूर्ति योजना को ₹133.68 करोड़ की लागत

पर जुलाई 2012 में जुलाई 2014 तक समाप्त किए जाने हेतु प्रारम्भ किया गया था। योजना ₹117.67 करोड़ (जून 2017) का व्यय करने के पश्चात भी अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता तथा अन्य राज्य सरकारी विभागों से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के कारण अपूर्ण रही। योजना की लागत को मार्च 2017 के रूप में पूर्ण होने की विस्तारित लक्षित तिथि के साथ ₹147.93 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था।

जिला पश्चिम सिंहभूम में 253 पीडब्ल्यूएस योजनाओं (चईबासा-181 तथा चक्रधरपुर-72) को 2012-14 के दौरान निष्पादन हेतु प्रारम्भ किया गया था जिन्हे अनुबंध की तिथि से तीन महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। तथापि, यह योजनाएं भी ₹27.40 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण (मई 2017) रहीं। माप पुस्तिकाओं में कोई अंतिम माप तथा समापन प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया गया था। सहायक कलेक्टर तथा उप-प्रभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति ने 98 योजनाओं (चैबासा-64 तथा चक्रधरपुर-34 की जांच की तथा अधीक्षण अभियंता ने 32 योजनाओं (चैबासा) की जांच की और टूटी हुई पाईपलाईनों, बिजली समस्याओं, टूटी हुई टंकी, घटिया कार्य, त्रूटिपूर्ण निर्माण तथा जीआई राईज़िंग पाईपों के स्थान पर पीवीसी राईज़िंग पाईपों के उपयोग को सूचित किया (मार्च 2017)।

कर्नाटक: चार जिलों (बागलकोट, गदग, यादगीर तथा चित्रदुर्ग) में 86 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु छः निर्माण कार्यों को सितंबर 2009 तथा दिसंबर 2016 के बीच समापन हेतु ₹53.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर 2007-08 तथा 2012-13 के बीच प्रारम्भ किया गया था। यह निर्माण कार्य ₹42.59 करोड़ का व्यय करने के पश्चात अपेक्षित भूमि, रेलवे प्राधिकारियों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा वन विभाग से अनिवार्य अनुमति के अभाव के कारण अपूर्ण रहे। इसके अतिरिक्त, तीन जिलों (बागलकोट, गदग तथा तुमकुरू) में 86 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु पांच[14] जल आपूर्ति योजनाओं को ₹42.95 करोड़ की सम्मत लागत पर निष्पादन हेतु 2007-08, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान प्रारम्भ किया गया था। ये निर्माण कार्य भी ₹39.56 करोड़ का व्यय करने के पश्चात निश्चित एवं बारहमासी जल स्रोत को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण अपूर्ण रही।

[14] मेटागढ़ तथा सात अन्य ग्राम, असूति तथा छः अन्य ग्राम, गुलूर तथा 16 अन्य ग्राम, सीएसपुरा तथा 34 अन्य ग्राम तथा अदीपुर तथा 26 अन्य ग्राम

राजस्थान: चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना चरण-II के अंतर्गत जिला भीलवाड़ा के 1,698 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए निर्माण कार्य को ₹1,495.68 करोड़ की लागत पर मार्च 2013 में संस्वीकृत किया गया था। निर्माण कार्य को अक्तूबर 2016 तक समापन हेतु ₹1,263.63 करोड़ की लागत पर चार पैकेजों में सौंपा गया था। सभी चार पैकेजों को ठेकेदार द्वारा जनवरी 2015 तथा मई 2016 के बीच रोक दिया गया था तथा वह ₹204.30 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण रहे। जिला फुलेरा में 173 ग्रामों में जल आपूर्ति योजना को ₹226.95 करोड़ की लागत पर जुलाई 2013 में एक फर्म को सौंपा गया था जिसे जनवरी 2016 तक समाप्त किया जाना था। तथापि, निर्माण कार्य ₹115.68 करोड़ का व्यय करने के पश्चात दिसंबर 2016 से अपूर्ण पड़ा था क्योंकि फर्म द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान न करने के कारण निर्माण कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति को रोक दिया गया था।

तेलंगाना: महबूबनगर, नालगोंडा तथा खम्मम जिलों में नौ निर्माण कार्यों को ₹251.92 करोड़ की लागत पर अक्तूबर 2013 तथा जुलाई 2016 के बीच समापन हेतु अप्रैल 2012 तथा अप्रैल 2016 के बीच प्रारम्भ किया गया था। ये निर्माण कार्य कारणों जैसे कि वन विभाग से अनुमति की गैर-प्राप्ति, त्रूटिपूर्ण डिजाईनिंग, बिजली कनेक्शन, अनुमानों के संशोधन, ठेकेदार को कार्य स्थल सौंपना, डिजाईन एवं आरेखण के अनुमोदन में विलम्ब, पंचायती राज विभाग से सड़क को काटने की अनुमति की गैर-प्राप्ति तथा पाईपलाईन की सीध में चट्टान वाले भाग को विस्फोट से साफ करने हेतु अनुमोदन की अप्राप्ति से ₹152.51 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण रहे।

नालगोंडा जिले में सूर्यपेट में सूर्यपेट निर्वाचन क्षेत्र में एक सीपीडब्ल्यूएस योजना को ₹71 करोड़ की लागत पर सौंपा गया (मई 2014) जिसे मई 2016 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि निर्माण कार्य को पूर्ण बताया गया था फिर भी भौतिक जांच में पता चला (जून 2017) कि शीर्ष कार्य पर रेपिड सेंड फिल्टरों का निर्माण अपूर्ण था। योजना परीक्षण के अधीन थी जिसके दौरान बस्तियों को अनुपचारित जल की आपूर्ति की जा रही थी। इस प्रकार, 231 बस्तियों को उपचारित जल प्रदान करने के लक्ष्य को समापन की निर्धारित तिथि से 14 महीनों के व्यतीत होने तथा ₹60.17 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी प्राप्त नहीं किया जा सका था।

4.2.7 निर्माण कार्य पूर्ण थे परंतु गैर-परिचालनात्मक रहे

विभिन्न राज्यों में निष्पादित निर्माण कार्यों की नमूना जांच ने उजागर किया कि ₹61.91 करोड़ की लागत से पूर्ण 34 निर्माण कार्य विभिन्न कारणों, जैसे कि बिजली कनेक्शनों की कमी, सड़क को चौड़ा करने के कारण टूटी हुई पाईपलाईन, पाइपलाइनों में रिसाव तथा अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुसार निर्माण कार्य के गैर-निष्पादन से परिचालनात्मक नहीं थे। यह पहले से पूर्व परियोजनाओं को परिचालनात्मक करने में विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय की कमी का सूचक थे। कुछ निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

अरूणाचल प्रदेश: पापूम्परे जिले में टाईंग तरंग में ₹0.24 करोड़ की लागत पर मार्च 2015 में पूर्ण गहरे बोर वैल के माध्यम से जल आपूर्ति प्रदान करने की योजना बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता के कारण गैर-परिचालनात्मक थी।

असम: ₹7.04 करोड़ की लागत पर मई 2013 में पूर्ण ग्रेटर टिटाबोर जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 23 पीडब्ल्यूएसएस अपर्याप्त एवं अनियमित विद्युत आपूर्ति, बूस्टिंग स्टेशन की कमी, वैकल्पिक पम्प सेटों के अभाव तथा जल रिसाव के कारण गैर-परिचालनात्मक थीं।

झारखण्ड: प्रतापपुर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को फ्लोराईड प्रभावित बस्तियों को स्वच्छ जल प्रदान करने हेतु ₹1.94 करोड़ की लागत पर 2006 में संस्वीकृत किया गया था। मार्च 2012 तक ₹1.88 करोड़ का व्यय करने के पश्चात योजना से जल आपूर्ति चोक्ड राईजिंग मेन्स तथा निम्न विद्युत वोल्टेज के कारण आंशिक थी। जुलाई 2016 से लक्षित ग्रामों को योजना से जल आपूर्ति नहीं की जा रही थी क्योंकि नदी से जल की आपूर्ति करने वाली पाईपलाईन खराब हो चुकी थी।

झारखण्ड के फ्लोराईड प्रभावित जीपी में गैर-क्रियात्मक एमपीडब्ल्यूएस योजना में व्यर्थ जनरेटर तथा जंग खा रहे प्रेशर फिल्टरों को दर्शाने वाली फोटोग्राफ

कर्नाटक

जिला बागलकोट में अगस्त 2008 में ₹12.93 करोड़ की लागत पर सौंपे गए दो निर्माण कार्यों (कटागरी एवं 13 अन्य ग्रामों तथा अनावल एवं अन्य 10 ग्रामों की जल आपूर्ति योजना) को अगस्त 2009 तक पूर्ण किया जाना था। चूंकि ठेकेदार अनुमोदित विशिष्टताओं का अनुपालन करने में विफल रहा इसलिए परियोजना के परीक्षण के दौरान प्रत्याशित ग्रामों को जल प्रदान नहीं किया जा सका था। योजनाओं को ₹ 14.38 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी क्रियात्मक नहीं किया जा सका था। यद्यपि एसएलएसएससी ने खामियों के सुधार हेतु सितंबर 2013 में ₹1.50 करोड़ के संवर्धन निर्माण कार्य को अनुमोदित किया फिर भी समस्या का समाधान करने हेतु कोई प्रगति नहीं की जा सकी थी (अगस्त 2017)।

इसके अतिरिक्त, तालुका मुधोल में नग्राल एवं अन्य पांच ग्रामों हेतु एक बहु-ग्राम जल आपूर्ति योजना को ₹7.90 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक तथा तकनीकी रूप से अनुमोदित (अक्तूबर 2006 तथा दिसंबर 2007) किया गया था परंतु निर्माण कार्य को बोलीकर्ताओं से प्रतिक्रिया की कमी के कारण जनवरी 2008 तक सौंपा नहीं गया था। बाद में, योजनाओं के अनुमानों का ₹8.82 करोड़ तक संशोधन किया गया था तथा निर्माण कार्य को निष्पादन हेतु फरवरी 2009 तक समापन की निर्धारित तिथि सहित एक ठेकेदार को ₹10 करोड़ की लागत पर सौंपा (मार्च 2008) गया था। योजना ₹9.70 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि जल रिसाव के कारण जलाशय तक नहीं पहुंच रहा था जो ठेकेदार द्वारा निष्पादित घटिया निर्माण कार्य का प्रमाण था। इसके अतिरिक्त, भौतिक जांच ने भी दर्शाया कि जल आपूर्ति हेतु चिन्हित स्रोत (घाटप्रवाह नहर) भी सूख गया था।

मेघालय: 2008 में संस्वीकृत दो निर्माण कार्यों (सखेन मूलीमन जल आपूर्ति योजना तथा चम चम जल आपूर्ति योजना) को ₹1.30 करोड़ का व्यय करने के पश्चात विद्युत कनेक्शन की कमी के कारण आरंभ (जुलाई 2017) नहीं किया गया था।

तेलंगाना

76 बस्तियों को जल की आपूर्ति करने हेतु तीन निर्माण कार्यों (नागर कुरनूल निर्वाचन क्षेत्र को सीपीडब्ल्यूएस योजना, जिला महबूबनगर में शेष बस्तियां थिमाजीपेट योजना-अचमपेट परियोजना तथा जिला खमाम में सीपीडब्ल्यूएस योजना मनूगुरू एवं पिनापका योजना चरण-I एवं II) को ₹24.44 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया था। इन निर्माण कार्यों को डक्टाईल आईएन पाईप के विस्तार को हटाने तथा चरण-I से संबंधित खामियों के सुधार न किए जाने के कारण चालू नहीं किया गया था (मार्च 2017)।

छः बस्तियों को जल आपूर्ति हेतु बुक्कापूर एवं अन्य बस्तियों के लिए सीपीडब्ल्यूएस योजना को ₹2.93 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया था। तथापि, यह पाया गया था कि योजना को चालू नहीं किया गया था क्योंकि इनटेक वैल में जल 500 मीटर से अधिक तक कम हो गया था तथा इनटेक वैल जल स्तर से ऊंचा था।

4.2.8 लक्षित बस्तियों के कवरेज के बिना पूर्ण किए गए निर्माण कार्य तथा कवर बस्तियों की अतिव्याप्ति

चयनित प्रभागों के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि नियोजित योजना के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु लक्षित तीन राज्यों में बस्तियों को या तो योजना के समापन के बावजूद कवर नहीं किया गया था या फिर उन्ही बस्तियों को दो अथवा अधिक योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया था जैसी अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

आन्ध्र प्रदेश: ₹79.93 करोड़ की लागत पर चालू आठ व्यापक सरंक्षित जल आपूर्ति (सीपीडब्ल्यूएस)[15] योजनाओं ने 694 बस्तियों के लक्ष्य के प्रति केवल 344 बस्तियों

[15] वेलदुर्थी मंडल: जिला चितौड़ में केवी पल्ली, कालीकिरी तथा कलकनाडा मंडल; जिला गोदावरी तल्लापुडी (एम), लंकल्कोदेरू तथा अन्य बस्तियां, उनगुट्टुरू, वीरावासरन तथा अन्य बस्तियां, सरीपल्ली तथा अन्य बस्तियां, माधवरम तथा अन्य बस्तियां।

को शामिल किया था। कवरेज में कमी को अन्य बातों के साथ-साथ अपर्याप्त निधियों तथा कुछ अनुमतियों की अप्राप्ति पर आरोपित किया गया था।

अरूणाचल प्रदेश: चार चयनित जिलों (छः प्रभागों) में 26 लक्षित बस्तियों को 2012-17 के दौरान ₹20 करोड़ की लागत पर पूर्ण की गई 23 योजनाओं में पाईपलाईन डालने से संबंधित निर्माण कार्य के गैर-निष्पादन के कारण कवर नहीं किया गया था।

असम: पीएचई प्रभाग हैलाकांडी ने जनवरी 2013 तथा मार्च 2013 के बीच तीन बहु-ग्राम योजनाओं[16] के अंतर्गत जल आपूर्ति निर्माण कार्य प्रारम्भ किए थे। मई 2017 तक ₹31.57 करोड़ के व्यय सहित 65 से 95 प्रतिशत भौतिक प्रगति की गई थी। पांच बस्तियों जिन्हे इन बहु-ग्राम योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया था, को उसी प्रभाग द्वारा जून 2013 तथा दिसंबर 2013 की अवधि के दौरान ₹5.80 करोड़ की अनुमानित लागत पर पांच व्यक्तिगत जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत कवरेज करने हेतु फिर से शामिल किया गया था। इस प्रकार, उन्ही बस्तियों, जिन्हे बहु-ग्राम योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया था, को कवर करने वाली पांच व्यक्तिगत जल आपूर्ति योजनाओं की संस्वीकृति उचित नहीं थी तथा इन व्यक्तिगत योजनाओं पर किया गया ₹3.03 करोड़ का व्यय अनियमित था।

4.2.9 छोड़े गए निर्माण कार्य

चयनित प्रभागों में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 12 राज्यों में 1,367 निर्माण कार्यों को ₹40.07 करोड़ का व्यय करने के पश्चात छोड़ दिया गया था। इन निर्माण कार्यों जैसे कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों को छोड़ना (16 कार्य), भूमि विवाद (17 कार्य), टूटी हुई पाईप लाईने (5 कार्य), जल स्रोत का सम्मिश्रण (13 कार्य), ट्यूब वैलों की असफल बोरिंग (1,312 कार्य) तथा योजनाओं के गैर-क्रियात्मक होने (चार कार्य) के कारणों से छोड़ दिया गया था जैसा **अनुबंध-4.2** में दिया गया है कुछ निदर्शी मामलों पर चर्चा की गई है:

[16] राज्य योजना के अंतर्गत रूपाछेरा एमवी पीडब्ल्यूएसएस तथा एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत ग्रेटर शेरालीपर एमवी पीडब्ल्यूएसएस एवं लाला एमवी पीडब्ल्यूएसएस

आन्ध्र प्रदेश: ₹10.94 करोड़ की अनुमानित लागत वाले पांच[17] जल आपूर्ति निर्माण कार्यों को मई 2012 तथा अक्तूबर 2015 के बीच पूर्ण करने हेतु नवम्बर 2011 तथा मई 2015 के बीच ठेकेदारों को सौंपा गया था। ठेकेदारों ने अप्रैल 2012 तथा दिसंबर 2016 के बीच इन निर्माण कार्यों को छोड़ दिया तथापि, विभाग ने शेष बचे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की तथा इन निर्माण कार्यों पर किया गया ₹6.17 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

झारखण्ड: जिला पलामू में ₹12.19 करोड़ की अनुमानित लागत वाली दो योजनाओं[18] को मार्च 2008 तथा जनवरी 2010 में निष्पादन हेतु प्रारम्भ किया गया था। इन निर्माण कार्यों को भूमि की अनुपलब्धता, ठेकेदार की पुरानी दरों पर निर्माण कार्य के निष्पादन की अनिच्छा तथा पाईपों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण क्रमश: अक्तूबर 2010 तथा अप्रैल 2013 से छोड़ दिया गया था जिसके कारण ₹5.52 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

कर्नाटक: जिला चित्रदुर्ग में रेवालाकुंटे तथा 26 अन्य ग्रामों को जल आपूर्ति योजना का निर्माण कार्य ₹10.25 करोड़ की लागत पर मई 2009 तक पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार को सौंपा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्य को परीक्षण के दौरान पाईपलाईनों में भारी रिसाव तथा स्रोत के सूख जाने के कारण पूर्ण/चालू नहीं किया जा सका। परियोजना जनवरी 2013 में अपूर्ण रही तथा किया गया ₹9.45 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। जिला यादगिर में, गोगी तथा 10 अन्य ग्रामों को पेयजल की आपूर्ति करने का निर्माण कार्य ₹2.58 करोड़ की लागत पर मार्च 2002 में सौंपा गया था। जल के स्रोत की पहचान गोगी ग्राम में एक टंकी के रूप में की गई थी। निर्माण कार्य को ₹2.96 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया था तथा अप्रैल 2009 में ग्राम पंचायत को सुपूर्द किया गया था। भौतिक जांच के दौरान यह देखा गया था कि योजना के चयनित जल स्रोत एक यूरेनियम संयंत्र, जो टंकी के जलग्रहण क्षेत्र के भीतर मौजूद था, के निस्राव से दूषित हो रहा था। स्रोत के अन्य टंकी में परिवर्तन का प्रस्ताव सफल नहीं हुआ था क्योंकि टंकी को जल आपूर्ति करने

---

[17] जिला पश्चिम गोदावई में चिंतलापुडी को सीपीडब्ल्यूएस तथा प्राथीकोल्लालंका में बैंड का सुदृढ़ीकरण तथा संरक्षण निर्माण कार्य; मंगलागिरी (एम) के कृष्णायापलेम (वी) तथा मंगलागिरी (एम) के कुरागुल्लू (वी) को एकल ग्राम जल योजना; जिला गुंटूर के मंगलागिरी (एम) के नीरूकोण्डा की योजना

[18] सिंग्रा ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना तथा बिश्रामपुर ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना।

वाली नहर सूख गई थी। इस प्रकार, उपयुक्त जल स्रोत की पहचान करने में विभाग की विफलता से ₹2.96 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ओडिशा: आठ चयनित जिलों में टयूब वैल की खुदाई के पहले भू-जल जांच नहीं की गई थी तथा स्रोत खोज समिति के साथ-साथ भू-जल सर्वेक्षण एवं जांच निदेशालय की सेवाएं प्राप्त नहीं की थी। परिणामस्वरूप 1,310 ट्यूब वैल असफल हो गए तथा इन ट्यूब वैलों पर किया गया ₹3.76 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

राजस्थान: जिला जैसलमेर में, जल आपूर्ति योजना (सागरमल गोपा शाखा- रामगढ़-सोनू-मोकन-खूनियाल को ₹2.30 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2013 तक समापन हेतु मार्च 2013 में निष्पादन हेतु आरम्भ किया गया था। ठेकेदार ने ₹1.79 करोड़ (सितंबर 2014) की कीमत के निर्माण कार्य का निष्पादन करने के पश्चात कठोर परतें आने से शेष निर्माण कार्य को निष्पादित नहीं किया था तथा निर्माण कार्य अपूर्ण पड़ा था (जून 2017)। मार्च 2017 तक निर्माण कार्य पर व्यय की गई कुल लागत ₹1.87 करोड़ थी।

उत्तर प्रदेश: रायबरेली में, निर्माण-I प्रभाग ने ₹1.84 करोड़ की लागत पर बर्दर जल आपूर्ति योजना को निष्पादित किया तथा अगस्त 2015 में कार्य को ग्राम पंचायत के सूपूर्द किया। योजना को 11 बस्तियों को शामिल करके बर्दर तथा बनकट ग्राम की 30 वर्षों की जल आवश्यकता को पूरा करने हेतु तैयार किया गया था। यह पाया गया था कि सूपूर्दगी के केवल एक माह पश्चात ही योजना का बोरिंग पम्प जल के साथ रेत एवं मिट्टी के अधिक स्त्राव के कारण खराब हो गया था (सितंबर 2015)। जुलाई 2017 तक इस योजना को छोड़ दिया गया।

4.2.10 कार्य के निष्पादन के बिना भुगतान

चयनित प्रभागों में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि तीन राज्यों में निर्माण कार्यों को निष्पादित किए बिना ठेकेदारों को 12 निर्माण कार्यों में ₹1.45 करोड़ अदा किया गया था जैसा नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़: कनकेर प्रभाग में, 2012-15 के दौरान नौ निर्माण कार्यों जिसमें रिसन टंकिया, रोक बांध, आरसीसी सिस्ट्रन, पम्प हाउस, पाईप डालना शामिल है, में निर्माण कार्य के वास्तव में निष्पादन के बिना ₹60 लाख अदा किए गए थे। विभाग ने बताया कि जांच की गई थी तथा दो ठेकेदारों से ₹26 लाख की वसूली की गई थी।

मणिपुर: पीएचई प्रभाग कंगपोपकि ने 227 विद्यालयों तथा 108 आंगनवाड़ी केन्द्रों को पेयजल की आपूर्ति हेतु पाईपलाईन डालने के लिए निर्माण सामग्री की खरीद हेतु ₹43 लाख का व्यय किया। निर्माण कार्य को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया गया था तथा किए गए निर्माण कार्य के दावे वाउचरों द्वारा समर्थित नहीं थे। इस प्रकार, निर्माण कार्य हेतु किए गए भुगतानों की यथार्थता संदेहास्पद थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि होउबल पीएचई प्रभाग ने 2013 में ₹20 लाख की लागत पर 100 आंगनवाड़ी केन्द्रों को पेयजल प्रदान करने का निर्माण कार्य निष्पादित किया था। तथापि, न तो कार्य आदेश और न ही अनुबंध ने आगंनवाड़ी केन्द्रों के स्थान का उल्लेख किया था। जिले में 72 आंगनवाड़ी केन्द्र थे तथा 13 चयनित बस्तियों में की गई भौतिक जांच ने प्रकट किया कि इन बस्तियों में किसी भी आगंवाड़ी केन्द्र में पेयजल सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

सिक्किम: दक्षिण सिक्किम जिले में येंगांगं तथा निकटवर्ती ग्रामों में आरडब्ल्यूएसएस हेतु जुलाई 2013 में सौंपे गए निर्माण कार्य के अनुमान में एक मद ₹22 लाख की लागत पर मिट्टी की खुदाई करके 64,050 मीटर पाईपलाईन डालने की थी। भौतिक जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पाईपों को मिट्टी की खुदाई किए बिना ही डाला गया था जो निर्माण कार्य की इस मद हेतु अनियमित भुगतान के अतिरिक्त पाईपों को टूटने के जोखिम में डालने का कारण बना।

4.2.11 निविदा प्रक्रिया तथा संविदा प्रबंधन में विसगंतियां

सामान्य वित्तीय नियमावली प्रावधान करती है कि वित्तीय शक्तियों के साथ प्रत्योजित प्रत्येक प्राधिकारी को सार्वजनिक खरीद से सबंधित मामलों में दक्षता, मित्तव्यय तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही होगी। इसके प्रति नियमावली के साथ-साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों तथा दिशानिर्देशों सहित नियमपुस्तिका में निविदा प्रक्रिया तथा संविदाओं के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट प्रावधान शामिल है जिनको संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन किया जाना है। जल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान कोडल प्रावधानों से विचलन के कुछ उदाहरण प्रकट किए जिनमें निम्नानुसार ₹14.67 करोड़ कि वित्तीय विवक्षा थी:

मिजोरम: मिजोरम सरकार के वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य क्रय सलाहकारी बोर्ड (एसपीएबी) द्वारा अनुमोदित मूल्य एक वर्ष के लिए वैध थे जिन्हे अन्य छः महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। एसपीएबी ने मार्च 2010 में एक फर्म से

जीआई पाईपों की खरीद को अनुमोदित किया। तथापि, पीएचईडी ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान 302 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं हेतु नई निविदाओं को आमंत्रित किए बिना उसी फर्म से उसी दर पर ₹19.40 करोड़ की लागत के पाईपों का प्रापण किया जबकि एसपीएबी द्वारा प्रदान अनुमोदन की वैधता समाप्त हो गई थी। इसने विभाग को वर्तमान बाजार दरों का पता लगाने के अवसर तथा खरीद पर किए गए व्यय की प्रतिस्पर्धात्मक और तर्कसंगतता के आश्वासन के अवसर से वंचित कर दिया।

सिक्किम: दक्षिण सिक्किम जिले में आरडब्ल्यूएसएस के ₹3.28 करोड़ की अनुमानित लागत पर सिविल कार्य हेतु फरवरी 2013 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। प्रत्युत्तर में पांच बोलियां प्राप्त हुई थीं तथा ₹2.26 करोड़ की न्यूनतम बोली जो अनुमानित लागत से 31.3 प्रतिशत कम थी, की स्वीकृति हेतु सिफारिश की गई थी। तथापि बाद में बोलीकर्ता ने "व्यक्तिगत आधारों" पर अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। चार शेष बोलीकर्ताओं में से तीन बोलीकर्ता ₹2.79 करोड़ पर निर्माण कार्य करने को सहमत हुए जो अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत कम था। तथापि निर्माण कार्य ₹3.28 करोड़ की अनुमानित निविदा लागत पर चौथे बोलीकर्ता को सौंपा (जुलाई 2013) गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीवीसी के दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि न्यूनतम बोलीकर्ता के कार्य से पीछे हटने के क्रम में निर्माण कार्य की पारदर्शी तरीके से पुन: निविदा होनी चाहिए। वर्तमान मामले में न केवल सीवीसी के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था बल्कि निर्माण कार्य अधिकतम बोलीकर्ता को सौंपा गया था जिसका परिणाम ₹0.49 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

असम: जोरहट पीएचई प्रभाग में ग्रेटर टिटाबोर जल आपूर्ति योजना हेतु निर्माण कार्य को दो मण्डलों अर्थात् मण्डल-I तथा मण्डल-II में विभाजित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल-I में डक्टाईल आयरन स्पेशल तथा फिटिंग की अनुमानित लागत को डक्टाईल आयरन पाईपों की लागत का 25 प्रतिशत लिया गया था जबकि मण्डल-II में इसे 15 प्रतिशत लिया गया था। मण्डल-I में कार्य की उसी मद हेतु 25 प्रतिशत की उच्च दर को अपनाने में औचित्य की कमी थी क्योंकि मण्डल-II के साथ-साथ अन्य पीएचई प्रभागों में 15 प्रतिशत की दर को अपनाया गया था। मण्डल-I में उच्चतर दर को अपनाने ने योजना की लागत को ₹1.78 करोड़ में बढ़ाया था। इसके अतिरिक्त दो मण्डलों हेतु अनुमत अनुमानों (अक्तूबर 2011) में लिए गए अन-प्लास्टिसाइड पॉलिविनायल क्लोराईड (यूपीवीसी) पाईपों की दरें इन

पाइपों हेतु उपलब्ध अनुमोदित दरों (जुलाई 2010) से अधिक थी। इसने आगे ₹0.86 करोड़ तक अनुमानों को बढ़ाया। इसका परिणाम निर्माण कार्यों पर ₹2.64 करोड़ के अधिक व्यय हुआ।

केरल: चार निर्माण कार्यों मूर्कानाड तथा निकटवर्ती ग्रामों को सीएआरडब्ल्यूएसएस पूर्व इलेरी पंचायत पैकेज-I को डब्ल्यूएसएस; पूर्व इलेरी पंचायत पैकेज 3 को डब्ल्यूएसएस तथा एआरड्ब्लयूएसएस-संवर्धन एवं सुधार निलाम्बर डब्ल्यूएसएस) को ठेकेदारों के जोखिम एवं लागत पर फरवरी 2012 तथा दिसंबर 2015 के बीच समाप्त कर दिया गया था। तथापि, जोखिम एवं लागत शर्त के कारण ₹3.75 करोड़ की देयता की अभी भी चूककर्ता ठेकेदारों से वसूली की जानी थी। अन्य डब्ल्यूएसएस जिसमें मणिमाला तथा निकटवर्ती ग्राम शामिल है, में संविदा को ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर जुलाई 2013 में समाप्त कर दिया गया था परंतु शेष निर्माण कार्य दिसंबर 2013 में उसी ठेकेदार को सौंपा गया था। निर्माण कार्य को अभी भी पूरा किया जाना था (जुलाई 2017)।

महाराष्ट्र: चूंकि बीमा प्रभारों को अनुमान में तैयार करने हेतु दरों की अनुसूची में शामिल किया गया है इसलिए निविदा शर्तों में ठेकेदारों को निर्माण कार्य के आरम्भ से पूर्व बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसके न किए जाने पर ठेकेदारों से निविदा लागत का एक प्रतिशत वसूलनीय था। बुलधाना तथा रायगढ़ जिलों में, 379 योजनाओं का निष्पादन कर रहे ठेकेदारों ने बीमा पॉलीसी नही ली थी। तथापि, निविदा शर्तों के अनुसार कोई वसूलियां नहीं की गई थी जो ठेकेदारों से ₹1.74 करोड़ की गैर-वसूली का कारण बनी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996 ने विभाग को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर बोर्ड को जमा करने हेतु ठेकेदारों के बिलो से उपकर की कटौती करने को बाध्य किया। तथापि, विभाग इन ठेकेदारों के बिलो से कुल ₹1.76 करोड़ के श्रमिक उपकर की कटौती करने में विफल रहा जो कि न केवल सांविधिक बाध्यता के उल्लंघन में था बल्कि वहीं विभाग को अधिनियम के तहत बोर्ड को उपकर अदा करने की देयता की ओर भी प्रस्तुत किया।

ओडिशा: सम्बलपूर तथा नूआपाड़ा जिलों में पांच पीडब्ल्यूएस निर्माण कार्यों (केसापली, बारब, खोलबीलोंग, बी गर्पोश तथा अमोडी) को अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के बीच ₹10.26 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था। ठेकेदारों ने ₹4.03 करोड़ की कीमत के निर्माण कार्य का निष्पादन करने के पश्चात निर्माण कार्यों को छोड़ दिया।

तथापि, विभाग संविदा की शर्तों के अनुसार चूककर्ता ठेकेदारों पर ₹1.24 करोड़ की परिसमापन हानियों को लागू करने में विफल रहा।

ओडिशा सरकार ने पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के आदेश जारी किए। इन आदेशों ने अनुबंध किया कि निर्माण कार्यों हेतु धन को निर्माण कार्यों के समापन पर प्रतिपूर्ति आधार पर जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ओडिशा पीडब्लयूडी संहिता ने ठेकेदारों को अत्यावश्यकताओं, जिस स्थिति में 18 प्रतिशत ब्याज की वसूली की जाएगी, के सिवाए अग्रिमों के भुगतान को वर्जित किया। उपर्युक्त के उल्लंघन में ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग ने भंजानगर तथा बेरहमपुर में पाईप जल आपूर्ति निर्माण कार्यों को एक एनजीओ को सौंपा तथा 2012-17 के दौरान ₹2.77 करोड़[19] की अग्रिम, बिना कोई दर्ज कारण के अदा की गई थी। इसमें से, जुलाई 2017 तक ₹0.11 करोड़ असमायोजित छोड़ते हुए, ₹2.66 करोड़ का समायोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, अग्रिम पर कोई ब्याज नहीं वसूला गया था जो राजकोष के ₹0.10 करोड़ की हानि का कारण बना।

राजस्थान: राजस्थान की लोक निर्माण कार्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली में निर्धारित संविदा/अनुबंध की सामान्य शर्तों की शर्त 2 के अनुसार, यदि ठेकेदार कार्य आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य को समाप्त नहीं करता है तथा विलम्ब ठेकेदार को आरोपनीय है तो क्षतिपूर्ति की वसूली की जानी है। उपर्युक्त सहिंता प्रावधान के उल्लंघन में, जिला गंगानगर में निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब जो ठेकेदारों को आरोपनीय थे, के बावजूद विभाग, ₹0.28 करोड़ की क्षतिपूर्ति की वसूली करने में विफल रहा।

4.2.12 निम्न आय राज्यों हेतु विश्व बैंक परियोजना

चार निम्न आय राज्यों अर्थात् **असम**, **बिहार**, **झारखण्ड** तथा **उत्तर प्रदेश** में मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2013 में विश्व बैंक के सहयोग से एक ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना आरम्भ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत, 2020 तक चार राज्यों[20] के 33 जिलों में

[19] भंजानगर द्वारा ₹2.10 करोड़ तथा बेरहमपुर द्वारा ₹0.67 करोड़

[20] 14 लाख, 24 लाख, 12 लाख तथा 28 लाख की अनुमानित जनसंख्या कवरेज के साथ क्रमश: असम=सात जिले, बिहार=10 जिले, झारखण्ड=छ: जिले तथा उत्तर प्रदेश-10 जिले

78 लाख की ग्रामीण जनसंख्या को ₹6,147 करोड़ (यूएसडी 1 बिलियन[21] के बराबर) की अनुमानित लागत पर 2012 पाईप जल आपूर्ति योजनाओं के साथ कवर किया जाना था। भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच अनुबंध के अनुसार, विश्व बैंक सात वर्षों की अवधि (2013-14 से 2019-20) तक परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (यूएसडी 500 मिलियन) प्रदान करेगा। परियोजना लागत के शेष 50 प्रतिशत को भारत सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थियों से अंशदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना था।

अनुबंध के अनुसार, 2,012 योजनाओं में से 726 को मार्च 2017 तक पूर्ण किया जाना था। इन योजनाओं के समापन की वास्तविक स्थिति **तालिका-4.6** में दी गई है:

तालिका-4.6: मार्च 2017 को विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत योजनाओं की स्थिति

योजनाएं	असम	बिहार	झारखंड	उत्तर प्रदेश	कुल
नियोजित	7	330	751	924	2,012
पूर्ण की जाने वाली	3	156	335	232	726
प्रारम्भ की गई	7	137	201	233	578
पूर्ण की गई	0	0	103	26	129
चालू	3	129	78	204	414
अभी भी प्रारम्भ की जानी	4	8	20	3	35

स्रोत: मंत्रालय के अभिलेख

विश्व बैंक परियोजनाओं के अंतर्गत योजनाएं पीछे चल रही थी तथा मार्च 2017 तक पूर्णता हेतु नियोजित 726 योजनाओं में से केवल 129 अर्थात् 17.8 प्रतिशत को ही पूर्ण किया गया था। अनुबंध के अनुसार ₹1,506.02 करोड़ की विश्व बैंक की निधियां मार्च 2017 तक संवितरण हेतु उपलब्ध थी। तथापि, राज्यों द्वारा योजनाओं के प्रारम्भ तथा निष्पादन में धीमी प्रगति के कारण मंत्रालय ने मार्च 2017 तक केवल ₹584.90 करोड़ का संवितरण किया जिसके प्रति केवल ₹380.04 करोड़ (25.2 प्रतिशत) का व्यय किया गया था।

मंत्रालय ने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति को विक्रेताओं की अपर्याप्त वित्तीय क्षमता, विक्रेताओं के ज्ञान/कौशल की कमी, टर्नकी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का

[21] 1 यूएसडी= ₹61.47

अनुभव न होने तथा राज्य सरकारी मशीनरी में क्षमता की कमी पर आरोपित किया (सितंबर 2017)।

विश्व बैंक परियोजना जो विशेष रूप से चार निम्न आय वाले राज्यों के 33 जिलों में पाईप पेयजल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने पर सक्रेन्द्रित थी, के प्रति दर्ज धीमी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ने इन राज्यों में लक्षित आबादी को परियोजना के लाभों से वंचित किया।

4.2.13 सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति योजनाओं की धीमी प्रगति

सौर ऊर्जा आधारित दोहरा पम्प पाईप जल आपूर्ति योजना को स्थापित करने हेतु दो अलग परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) वित्त मंत्रालय (मार्च 2013) तथा नई एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) (अक्तूबर 2014) की वित्तीय सहायता के साथ प्रारम्भ की गई थी। परियोजना का उद्देश्य सभी राज्यों में दूरवर्ती क्षेत्रों को शामिल करना था जहॉ विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

ए) 10 राज्यों में 11,068 ग्रामीण बस्तियों में दोहरे-पम्पो की संस्थापन को एनसीईएफ से 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ प्रारम्भ किया जबकि शेष 60 प्रतिशत को केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर विभाजित किया जाना था। कुल ₹110.65 करोड़ (मार्च 2013) तथा ₹110.64 करोड़ (मार्च 2015) के एनसीईएफ अंशदानों को 11,068 बस्तियों में दोहरे-पम्पो की संस्थापना हेतु जारी किया गया था। 5,424 बस्तियों के मामले में परियोजना को 18 महीनों अर्थात् सितंबर 2014 तक तथा शेष 5,644 बस्तियों के मामले में अगस्त 2015 तक समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया था। यह देखा गया कि सितंबर 2017 तक कुल 8,802[22] बस्तियों (79.5 प्रतिशत) को परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। राज्य-वार निष्पादन के विश्लेषण ने दर्शाया कि **छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना** तथा **उत्तर प्रदेश** में उपलब्धि 55 प्रतिशत तथा 94 प्रतिशत के बीच थी।

बी) 17 राज्यों में ₹1.80 लाख प्रत्येक की अनुमानित लागत पर 15,400 दोहरे-पम्पों की संस्थापना को एमएनआरई मंत्रालय से ₹0.40 लाख प्रति पम्प की वित्तीय सहायता सहित ₹1.40 लाख प्रति पम्प की शेष लागत को छोड़ते हुए जुलाई 2016

[22] **आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र** तथा **उत्तर प्रदेश** की उपलब्धि मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थी।

में प्रारम्भ किया गया था। शेष राशि तथा भण्डारण, संवितरण तथा संस्थापना लागत सहित कुल ₹4.50 लाख की इस लागत को केन्द्र तथा राज्यों के बीच विभाजित किया जाना था। निर्माण कार्य को मार्च 2017 तक समाप्त किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 15,400 पम्पों के लक्ष्य के प्रति केवल 7,100 दोहरे-पम्पों (46.1 प्रतिशत) को सितंबर 2017 तक संस्थापित किया गया था। राज्य-वार निष्पादन ने दर्शाया कि **असम, हरियाणा, पंजाब** तथा **पश्चिम बंगाल** ने 1,000 के अपने लक्ष्य के प्रति कोई भी दोहरा पम्प संस्थापित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, **बिहार, गुजरात, राजस्थान** तथा **तमिलनाडु** में सितंबर 2017 तक 3,000 दोहरे पम्प की लक्षित संस्थापना के प्रति केवल 14 दोहरे पम्पों की संस्थापना की गई थी। **छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना** तथा **उत्तर प्रदेश** में प्रतिशतता उपलब्धि 18 से 57 प्रतिशत के बीच थी।

ओडिशा

आईएपी जिले हेतु सौर ऊर्जा आधारित दोहरा पम्प पाईप जल आपूर्ति योजना को ओडिशा नवकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ओआरईडीए) के माध्यम से 2013-14 में प्रारम्भ किया गया था जिसके लिए सात प्रतिशत सेवा कर अभिकरण को अदा किया गया था। सभी निर्माण कार्यों को संस्थापना की तिथि से पंचवर्षीय व्यापक अनुरक्षण संविदा (सीएमसी) से स्वच्छ किया गया था। 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹161.02 करोड़ का व्यय करके राज्य में 6,291 सौर दोहरे पम्पों की संस्थापना की गई थी। अगस्त 2017 तक, ₹19.41 करोड़ का व्यय करके संस्थापित 428 सौर दोहरे पम्प तीन से 25 महीनों के बीच की अवधि के लिए गैर-क्रियात्मक थे। ओआरईडीए ने विक्रताओं को 15 दिनों के भीतर त्रूटियों का सुधार करने के लिए सूचित किया था। इन पम्पों के गैर-मरम्मत के कारण 428 बस्तियों की लक्षित आबादी को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे।

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि योजना का कार्यान्वयन पीछे चल रहा था क्योंकि राज्य अन्य कार्यक्रमों में पहले से व्यस्त होने के कारण ध्यान देने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने सूचित किया कि प्रगति की कड़ी निगरानी की जा रही थी तथा योजनाओं को जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। तथ्य यह है कि योजना को पूर्ण करने में विलम्ब ने सभी राज्यों के दूरवर्ती क्षेत्रों, जहॉ विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी, को जल आपूर्ति योजनाओं का कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य को प्रभावित किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

4.2.14 विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों का कवरेज

कार्यक्रम दिशानिर्देश अभिकल्पना करते है कि सभी राज्यों को मौजूद में ग्रामीण सरकारी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों तथा उनमें से पेयजल सुविधाओं वालों के डाटा का संकलन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कार्यनिति योजना (2011-22) के अनुसार ग्रामीण भारत में सभी विद्यालयों तथा आगंनवाड़ियों को 2017 तक स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त मात्रा तक पहुँच प्रदान की जानी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10.45 लाख विद्यालयों (सरकारी, सहायता-प्राप्त, स्थानीय निकाय तथा निजि) तथा आंगनवाड़ियों में से 1.50 लाख विद्यालय तथा आगंनवाडियों अर्थात् 14.35 प्रतिशत में नवम्बर 2017 तक पेयजल सुविधाएं नहीं थी। विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियो को पेयजल सुविधाओं के प्रावधान में कमी अन्य क्षेत्रों की तुलना में, उत्तर-पूर्वी राज्यों **अरूणाचल प्रदेश** (56 प्रतिशत), **असम** (29 प्रतिशत), **मेघालय** (48 प्रतिशत), **नागालैंड** (54 प्रतिशत), **सिक्किम** (36 प्रतिशत) में अधिक थी। विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियो को पेयजल सुविधाओं के प्रावधान की स्थिति पर राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियों नीचे दी गई है।

अरूणाचल प्रदेश: पश्चिम कामैंग जिले में, 40 नमूना जांच की गई विद्यालयों को जल आपूर्ति योजनाओं में से 21 (53 प्रतिशत) अवसादन टंकी जैसी मदों के गैर-निर्माण, भण्डारण टंकी तथा पब्लिक स्टैंड पोस्ट (पीएसपी) के गैर-प्रावधान के कारण चार महीनों से अधिक (अगस्त 2017) तक अपूर्ण रही। लोवर सूबनासिरी जिले में 15 योजनाएं प्रमात्रा तथा गुणवत्ता समस्याओं के कारण अप्रैल 2006 से गैर-क्रियात्मक थी। आठ नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से एक विद्यालय में जल आपूर्ति योजना जिसे ₹6 लाख की लागत पर समाप्त (मार्च 2014) किया गया था, गैर-क्रियात्मक रही क्योंकि भण्डारण टंकी तथा पीएसपी का मार्च 2017 तक निर्माण नहीं किया गया था।

मध्य प्रदेश: 44 चयनित जीपी में पेयजल सुविधा 226 विद्यालयों में से 33 में उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार, पेयजल सुविधा 125 आंगनवाड़ियों में से 27 में उपलब्ध नहीं थी।

राजस्थान: 10 चयनित जिलों में अप्रैल 2012 तक पेयजल सुविधा 2,903 विद्यालयों में से केवल 1,049 में उपलब्ध थी जिसमें मार्च 2017 तक 1,854 विद्यालयों को कवर नहीं किया गया था। यह भी पाया गया था कि अप्रैल 2015 तक 866

विद्यालयों[23] में पेयजल सुविधाएं न होने के बावजूद 2015-17 के दौरान चार जिलों[24] में किसी भी विद्यालय को कवर नहीं किया था।

त्रिपुरा: विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि केवल तीन विद्यालय पर्याप्त पेयजल सुविधाओं तक पहुंच के बिना रह गए थे। तथापि, नमूना जांच किए गए जिलों में जिला स्तर पर अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि केवल धलाई जिले में ही 34 विद्यालयों तथा 51 आंगनवाडियों को 2016-17 की समाप्ति तक अभी भी कवर किया जाना था। इसके अतिरिक्त, शिक्षा हेतु संयुक्त जिला सूचना प्रणाली के अद्यतन (जून 2017) अभिलेखों की पुन: जांच ने प्रकट किया कि राज्य के दावे कि केवल तीन विद्यालय पर्याप्त पेयजल सुविधाओं तक पहुंच के बिना रह गए थे, के विपरीत 991 विद्यालय पेयजल सुविधाओं से वंचित थे।

यह स्पष्ट है कि मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रखर कमी होने के साथ मार्च 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियो को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा।

4.3 गुणवत्ता

पेयजल का जीवाणुतत्व संबंधी संदूषण सहित मुख्यत: आर्सेनिक, फ्लोराईड, लौह तथा भारी धातुओं के कारण रसायनिक सदूंषण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति में मुख्य चिंताएं है। बड़ी संख्या में ग्रामीण बस्तियां गुणवत्ता प्रभावित हैं तथा गुणवत्ता चिंताओं का समाधान करके स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना एक चुनौती है। परिणामस्वरूप, एनआरडीडब्ल्यूपी ऐसे क्षेत्रों में योजनाओं हेतु निधियों का निर्धारण करके जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के कवरेज को महत्व देता है, जैसा इस प्रतिवेदन के पैरा सं. 3.1 में ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बस्तियों, विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों में जल गुणवत्ता को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं भी प्रारम्भ की गई थीं।

4.3.1 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की स्थिति

लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,04,160 ग्रामीण बस्तियां (1 अप्रैल 2012) रसायनिक संदूषण से प्रभावित थे जिसे अप्रैल 2016 तक 67,290 बस्तियों तक कम किया गया था परंतु अप्रैल 2017 तक 74,724 बस्तियों (11 प्रतिशत) तक बढ़ा था। पेयजल के

[23] भीवाड़ा, डूंगरपुर, जयपूर तथा झालवार

[24] भीवाड़ा-290, डूंगरपुर-61, जयपूर-333 तथा झालवार-182

रासायनिक संदूषण के मुख्य स्रोतों, सामुदायिक जल शोधन सयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) तथा संबंधित मामलों के संबंध में स्थिति **बाक्स-4.1** में दी गई हैं:

बाक्स-4.1: रासायनिक संदूषण से प्रभावित बस्तियां

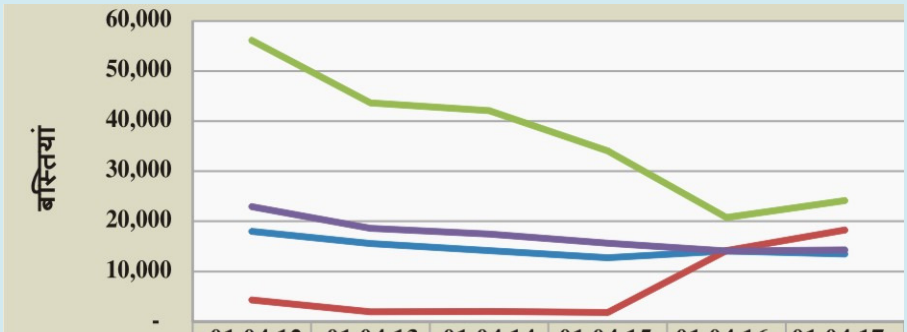

	01.04.12	01.04.13	01.04.14	01.04.15	01.04.16	01.04.17
फ्लोराईड	17,986	15,565	14,132	12,727	14,055	13,492
आर्सेनिक	4,314	1,917	1,991	1,800	14,143	18,258
आयरन	56,144	43,662	42,093	34,096	20,806	24,168
सैलिनिटि	22,958	18,589	17,472	15,617	14,085	14,317

सीडब्ल्यूपीपी बस्तियां तथा 01 अप्रैल 2017 को स्थिति के संबंध में कमी	
सं.	*प्रतिशत*
2,290	**83.3**
994	**94.6**
44	**99.8**
156	**98.9**

फ्लोराईड: आईएमआईएस डाटा के अनुसार, 17 राज्यों में 1.08 करोड़ की ग्रामीण आबादी वाले 13,492 बस्तियां 01 अप्रैल 2017 को पेयजल स्रोतों में अधिक फ्लोराईड के कारण जोखिम में थे। तथापि, 83.3 प्रतिशत बस्तियों को सीडब्ल्यूपीपी प्रदान नही किया गया।

आर्सेनिक: आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां **असम** तथा **पश्चिम बंगाल** में अधिक थे। आईएमआईएस डाटा के अनुसार, 1 अप्रैल 2017 को 1.70 करोड़ की ग्रामीण आबादी वाली 18,258 बस्तियां आर्सेनिक संदूषित पेयजल से प्रभावित थीं। तथापि, सीडब्ल्यूपीपी केवल 994 बस्तियों (5.4 प्रतिशत) को ही प्रदान किए गए थे। सीडब्ल्यूपीपी **छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक** तथा **उत्तर प्रदेश** के किसी भी प्रभावित बस्तियों में प्रदान नहीं किए गए।

आयरन: घटती हुई प्रवृत्ति (2012-16) के बावजूद, 22 राज्यों में 1.48 करोड़ की ग्रामीण आबादी को शामिल करने वाले 24,168 बस्तियों में पेयजल 1 अप्रैल 2017 को अभी भी आयरन से संदूषित था। इसके प्रति, **कर्नाटक** में 35 तथा **पश्चिम बंगाल** में पांच सहित पांच राज्यों में केवल 44 बस्तियों (0.2) प्रतिशत) को सीडब्ल्यूपीपी प्रदान किए गए।

सेलिनिटी: सेलिनिटी **राजस्थान** में प्रबल है। आईएमआईएस डाटा के अनुसार, 1 अप्रैल 2017 को, 44 लाख की ग्रामीण आबादी को शामिल करने वाले 14,317 बस्तियों जहॉ जल, सेलिनिटी से प्रभावित था, में से 30 लाख की ग्रामीण आबादी को शामिल करने वाले

12,800 बस्तियां **राजस्थान** में थीं। तथापि सीडब्ल्यूपीपी, **राजस्थान** के 131 बस्तियों सहित केवल 156 बस्तियों (एक प्रतिशत) में प्रदान किए गए थे।

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

इस प्रकार, अप्रैल 2017 को 74,724 गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में से 70,235 ग्रामीण बस्तियां अर्थात् 94 प्रतिशत आर्सेनिक, फ्लोराईड, आयरन तथा सेलिनिटी के मुख्य रसायनिक संदूषण से प्रभावित थे। **असम, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, ओडिशा** तथा **पश्चिम बंगाल** जल संदूषण से प्रभावित प्रबल राज्य है। अप्रैल 2017 को आर्सेनिक, फ्लोराईड, आयरन तथा सेलिनिटी से बड़े पैमाने पर प्रभारित राज्यों की स्थिति का **चार्ट-4.6** में ब्यौरा दिया गया है:

चार्ट-4.6: अप्रैल 2017 को राज्यों में बस्तियों की संदूषण - वार स्थिति

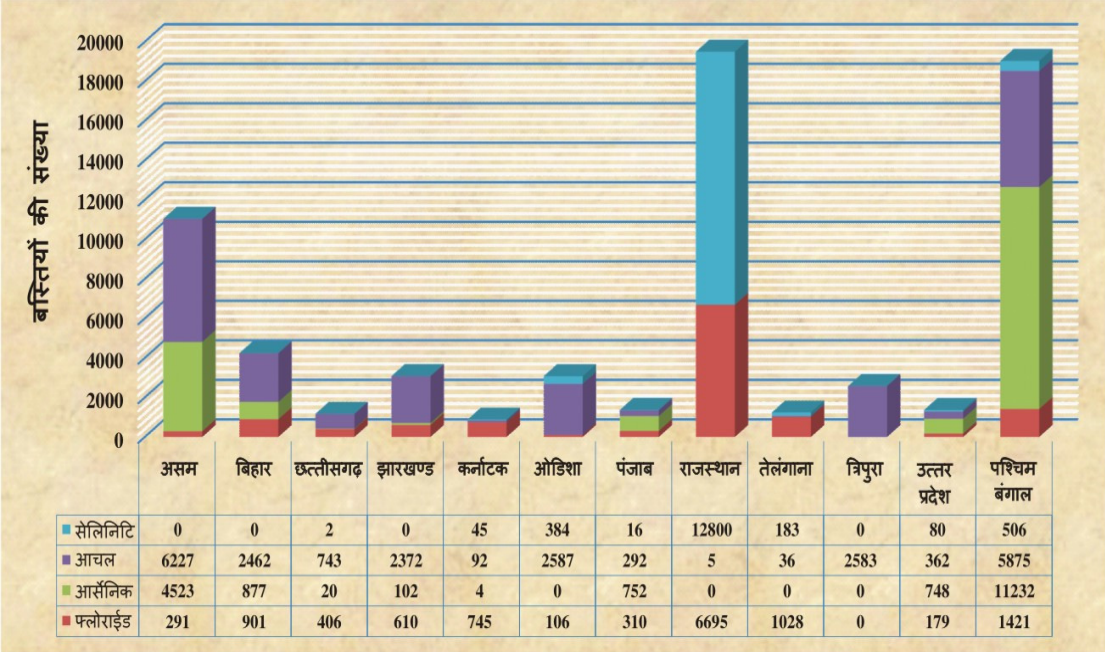

	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	झारखण्ड	कर्नाटक	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	तेलंगाना	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
सेलिनिटि	0	0	2	0	45	384	16	12800	183	0	80	506
आचल	6227	2462	743	2372	92	2587	292	5	36	2583	362	5875
आर्सेनिक	4523	877	20	102	4	0	752	0	0	0	748	11232
फ्लोराईड	291	901	406	610	745	106	310	6695	1028	0	179	1421

अप्रैल 2017 तक, केवल पांच प्रतिशत गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बस्तियों को सीडब्ल्यूपीपी प्रदान किया गया था जो शेष बस्तियों में संदूषण की समस्या को बिना समाधान के छोड़ता है। 12 राज्यों अर्थात् **अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश** तथा **उत्तराखण्ड** में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु किसी भी गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में सीडब्ल्यूपीपी को संस्थापित नहीं किया गया था। नौ अन्य राज्यों अर्थात **असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान** तथा **पश्चिम बंगाल** में सीडब्ल्यूपीपी प्रदान किए गए बस्तियों की प्रतिशतता एक से

सात प्रतिशत के बीच थी। **आन्ध्र प्रदेश** तथा **कर्नाटक** में सीडब्ल्यूपीपी प्रदान किए गए बस्तियों की प्रतिशतता क्रमश: 35 तथा 49 प्रतिशत थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि 10,689 सीडब्ल्यूपीपी को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में संस्थापित किया गया था। तथापि तथ्य है कि 95 प्रतिशत गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां अभी भी स्वच्छ पेयजल तक पहुंच के बिना थे।

गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों तथा सुधार हेतु उपायों के प्रावधान के संबंध में अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित राज्य विशिष्ट टिप्पणियां नीचे दी गई है:

असम: गोलाघाट पीएचई प्रभाग में, ₹4.75 करोड़ के व्यय पर मई 2011 तथा मार्च 2013 के बीच पूर्ण आठ पीडब्ल्यूएस योजनाओं से जल की एक डीएलएल द्वारा जांच की गई थी (जून 2017) तथा इसे आर्सेनिक से सदूंषित पाया गया। इसी प्रकार, होजाई तथा नागाँव पीएचई प्रभागों में ₹4.98 करोड़ के व्यय पर नवम्बर 2010 तथा दिसंबर 2014 के बीच पूर्ण 11 पीडब्ल्यूएस योजनाओं से जल की गुणवत्ता जांच ने प्रकट किया कि सभी योजनाओं में जल, अनुज्ञय सीमा से अधिक आर्सेनिक से संदूषित था। संबंधित प्रभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं से कवर लाभार्थियों को वैकल्पिक स्रोत से स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार, 19 पीडब्ल्यूएस योजनाओं पर ₹9.73 करोड़ का व्यय करने के बावजूद भी इन जिलों में निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सका था।

ओडिशा: जिला नवरंगपुर में दो ब्लॉकों के सात ग्रामों में 2015-17 के दौरान 40 ट्यूब वैलो में से सोलह फ्लोराईड से सदूंषित थे फिर भी ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु न तो कोई वैकल्पिक स्रोत था और न ही समस्या का समाधान करने हेतु विभाग द्वारा शोधक उपाय जैसे कि फ्लोराईड निष्कासन उपकरणों की संस्थापना, आदि किए गए थे। परिणामस्वरूप, सात ग्रामों की आबादी ने अस्वच्छ जल का उपयोग जारी रखा।

राजस्थान: राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार, राज्य ने किसी भी बस्ती को भारी धातु से संदुषित होने के रूप में नहीं दर्शाया था। तथापि, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के अनुसार, भारी धातु संदूषण (लेड, केडमियम, क्रोमियम, निक्ल तथा कॉपर) झुनझुनू, अलवर, जयपुर तथा जोधपुर जिलों में मौजूद था।

त्रिपुरा: 1 अप्रैल 2017 तक, 741 गहरे ट्यूब वैलो को आयरन संदूषण का उपचार करने हेतु आयरन निष्कासन संयंत्रो के साथ जोड़ा नहीं गया था। परिणामस्वरूप, सभी बस्तियां जिन्हे इन गहरे ट्यूब वैलो से पेयजल की आपूर्ति की गई थी, गुणवत्ता प्रभावित रही।

यह भी पाया गया था कि 20 राज्यों में 15,493 बस्तियां मार्च 2017 तक भारी धातुओं जैसे कि मैंगनीज, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, लेड, कैडमियम तथा सेलिनियम से प्रभावित थे। इससे प्रभावित प्रबल राज्य असम (1,582 बस्तियां), **पंजाब** (2,038 बस्तियां) तथा **पश्चिम बंगाल** (11,486 बस्तियां)।

4.3.2 रासायनिक संदूषण के निष्कासन पर निष्फल व्यय

छ: राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने उजागर किया कि 2012-17 के दौरान ₹87.15 करोड़ की कीमत पर खरीदे गए रिवर्स ओस्मोसिस (आरओ) संयंत्र, आयरन निष्कासन संयंत्र, अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन पॉट फिल्टर, मोबाईल जल उपचार सयंत्र तथा डि-फ्लोराईडेशन इकाईयां या तो व्यर्थ पड़ी थीं या फिर गैर-क्रियात्मक थीं जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

असम

(ए) पीएचईडी ने 2013-17 के दौरान विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को फ्लोराईड तथा आर्सेनिक मुक्त जल प्रदान करने हेतु ₹83.84 करोड़ की कीमत के 33,600 आर्सेनिक फिल्टर खरीदे गए थे। इनमें से, ₹0.05 करोड़ की लागत के 20 फिल्टरों को भण्डार में छोड़ते हुए 33,580 फिल्टरों को 2013-14 से 2016-17 के दौरान पीएचई प्रभागों को जारी किया गया था। जारी किए गए फिल्टरों में से 18,575 फिल्टर, 13 चयनित प्रभागों द्वारा प्राप्त किए गए थे जिसमें से ₹28.35 करोड़ की लागत के 11,361 फिल्टरों को 2013 से चयनित प्रभागीय भण्डारों में छोड़ते हुए 7,214 (39 प्रतिशत) विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि सिलचर-I प्रभाग ने विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियो को बिना मांग के, क्योंकि जल रसायनिक रूप से सदूंषित नहीं था, ₹3.37 करोड़ की लागत के 1,350 फिल्टर जारी किए।

विभिन्न पीएचई प्रभागों के भण्डारणों में व्यर्थ पड़े आर्सेनिक फिल्टर

हैलाकांडी पीएचई प्रभाग का भण्डार (17.05.2017)

धुब्री पीएचई प्रभाग का भण्डार (06.07.2017)

हावड़ा घाट पीएचई प्रभाग का भण्डार (31.5.2017)

इस प्रकार, गलत योजना आवश्यकता के निर्धारण के बिना फिल्टरों के प्रापण का परिणाम ₹31.77 करोड़ की लागत के 12,731 फिल्टरों के बिना उपयोग के रहने अथवा बिना किसी आवश्यकता के विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को जारी किए जाने में हुआ (मार्च 2017)।

(बी) लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2014-16 के दौरान प्रापण किए गए ₹22.61 करोड़ की कीमत के 68[25] सौर संचालित रिवर्स ओस्मोसिस (आरओ) संयंत्रों में से जुलाई 2017 तक 46 संयत्रों को भण्डार में छोड़ते हुए 22 सयंत्रों को छ[26] प्रभागों को जारी किया गया था। तथापि, इन 22 संयंत्रो में से तीन चयनित प्रभागों[27] में जारी 10 को अभी भी संस्थापित किया जाना था।

गैर-संस्थापित पड़े सौर संचालित रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र (27.07.2017)

[25] एनआरडीड्ब्ल्यूपी (40 सयंत्र) तथा राज्य योजना निधि (28 सयंत्र)

[26] (i) गुवाहाटी पीएचई प्रभाग सं. I (5 संयत्र) (ii) होजई पीएचई प्रभाग (7 सयंत्र) (iii) जोरहाट पीएचई प्रभाग (2 सयंत्र) (iv) धुब्री पीएचई प्रभाग (4 संयंत्र) (v) बारपेट पीएचई प्रभाग (2 संयंत्र) तथा (vi) नलबारी पीएचई प्रभाग (2 संयंत्र)

[27] होजई प्रभाग: 7 सयंत्र; जोरहाट प्रभाग: 1 सयंत्र तथा धुब्री प्रभाग: 2 सयंत्र।

विभाग ने बताया कि 46 संयत्रो को उच्च प्राधिकारी से संस्थापना हेतु प्रभाग वार अवस्थिति की अप्राप्ति के साथ-साथ पीडब्ल्यूएसएस निर्माण कार्यों के समापन जहाँ संयत्रों को संस्थापित किया जाना था, के संबंध में सूचना की अप्राप्ति के कारण जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार ₹18.62 करोड़ की कीमत पर 2014-16 के दौरान प्रापण किए गए 56 सौर संचालित रिवर्स ऑस्मोसिस व्यर्थ पड़े थे।

(सी) 2012-17 के दौरान पीएचईडी ने आयरन रहित जल प्रदान करने के लिए ₹73.19 करोड़ की लागत के 10,485 "आयरन निष्कासन संयंत्रों (आईआरपी)" का प्रापण किया। 11,174 आईआरपी (अप्रैल 2012 से भण्डार में पड़े 689 आईआरपी सहित) में से, भण्डार में ₹2.04 करोड़ की कीमत के 292 आईआरपी को छोड़ते हुए, 10,882 आईआरपी संस्थापना हेतु पीएचई प्रभाग को जारी किए गए थे। जारी किए गए 10,882 आईआरपी में से 2,733 आईआरपी 13 चयनित प्रभागों द्वारा प्राप्त किए गए थे जिसमें से भण्डार में 809 आईआरपी को छोड़ते हुए 1,924 आईआरपी (70 प्रतिशत) को प्रभागों द्वारा उपयोग/संस्थापित किया गया था। इस प्रकार मार्च 2017 तक, ₹7.68 करोड़ की कीमत के 1,101 आईआरपी का अभी उपयोग किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, पीएचई प्रभाग सिल्चर-II, धुब्री तथा होजाई में 2012-17 के दौरान संस्थापित 937 आईआरपी में से केवल 47 आईआरपी मई 2017 को क्रियात्मक थे तथा ₹5.51 करोड़ की कीमत के शेष 790 आईआरपी[28] अनुरक्षण की कमी के कारण गैर क्रियात्मक थे।

[28] 100 आईआरपी की ठीक अवस्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

गैर-क्रियात्मक आयरन निष्कासन संयत्र

धुब्री पीएचई प्रभाग के अधीन अदबारी ईद-गाह 9-7-2017 को ली गई फोटो

पीएचई प्रभाग के अधीन अदबारी एलपीएस 9-7-2017 को ली गई फोटो

(डी) पीएचईडी ने 2012-17 के दौरान विद्यालयों में संस्थापना हेतु ₹25.95 करोड़ की लागत के 22,715 "सेनको मेक अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन पॉट फिल्टरो" का प्रापण किया। इसमें से, ₹4.74 करोड़ की कीमत के 4,150 फिल्टर तथा ₹2.65 करोड़ की कीमत के 2,321 फिल्टर (अप्रैल 2012 से पड़े 325 फिल्टर सहित) मार्च 2017 को स्वच्छता तथा जल प्रभाग, गुवाहटी तथा 13 चयनित प्रभागों के पास भण्डार में पड़े थे।

छत्तीसगढ़: बस्तर, राजनंदगांव तथा जशपुर के विभिन्न आयरन प्रभावित बस्तियों में 647 संस्थापित (2012-16) आईआरपी में से 77, गैर-क्रियात्मक (मार्च 2017) थे जिस कारण ₹0.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

गुजरात: चयनित जिलों में लेखापरीक्षा ने जिला तथा तालुका जल जांच प्रयोगशालाओं से 20 तालुकाओं से 73 बस्तियों के जल नमूना जांच परिणामों (2012-2017) को एकत्रित किया तथा पाया कि लिए गए 700 नमूनों में से 146 अधिक फ्लोराईड तथा नाईट्रेट की मौजूदगी के कारण सदूंषित थे। तथापि, न तो इन जांच परिणामों के संबंध में जीपी को सूचित किया गया था और न ही कोई उपचारी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड: साहिबगंज तथा पलामू में ₹0.53 करोड़ की लागत पर प्रापण (अगस्त 2012) किए गए मोबाईल जल उपचार संयंत्र अप्रैल-मई 2013 से व्यर्थ पड़े थे।

मध्य प्रदेश तथा राजस्थान

मध्य प्रदेश में उप-प्रभाग छिदवाड़ा, पर्सिया तथा जमई में 96 डी-फ्लोरिडेशन इकाईयों को ₹1.64 करोड़ की लागत पर 2014-15 में संस्थापित किया गया था। कार्यकारी अभिकरण के साथ अनुबंध के नियमों एवं शर्तों में संस्थापित संयंत्रो का पांच वर्षों तक नियमित अनुरक्षण शामिल था। यह देखा गया था कि 92 इकाईयों का अभिकरण द्वारा संस्थापना की तिथि से केवल चार महीनों के लिए ही अनुरक्षण किया गया था। चूंकि अभिकरण ने इन इकाईयों का अनुरक्षण नहीं किया था इसलिए संविदा को फरवरी 2016 में रद् कर दिया था। सभी 96 इकाईयां क्रियात्मक नहीं थी (मार्च 2017) तथा फ्लोराइड संदूषित जल की निवास स्थानों को आपूर्ति की जा रही थी।

राजस्थान में, पांच चयनित जिलों (भीलवाड़ा, जैसलमेर, झालावार, कोटा तथा टोंक) में ₹5.80 करोड़ की लागत पर 669 डी-फ्लोरिडेशन इकाईयों की संस्थापना हेतु कार्य आदेश जनवरी/मई 2011 में एक अभिकरण को जारी किए गए थे। अभिकरण को 2011-12 में संस्थापित 374 डी-फ्लोरिडेशन इकाईयों के लिए ₹ 0.79 करोड़ अदा किया गया था। ये इकाईयां इस तथ्य कि संविदा की शर्तों में पांच वर्षों हेतु, प्रचालन तथा अनुरक्षण शामिल था, के बावजूद अनुरक्षण की आवश्यकता के कारण गैर-क्रियात्मक हो गई।

इसके अतिरिक्त, ₹7 करोड़ की लागत पर जिला जैसलमेर तथा बाड़मेर में संस्थापित 57 रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र अनुरक्षण की आवश्यकता के कारण गैर-क्रियात्मक हो गए जबकि संविदा की शर्तों में सात वर्षों का अनुरक्षण शामिल था।

बिहार में लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- आईएमआईएस डाटा के अनुसार, जिला बंका में नगेल बस्तियां को पीडब्ल्यूएसएस से आवृत दर्शाया गया था। परंतु सर्वेक्षण के दौरान बस्तियों में कोई पीडब्ल्यूएसएस मौजूद नहीं पाया गया था।
- आईएमआईएस डाटा के अनुसार, तेलिया कुमारी पंचायत के तीन चयनित बस्तियों (सियोका गोला, खासिया तथा हुडा टोला) को फ्लोराईड निष्कासन संलग्न इकाई होने के रूप में दर्शाया गया था। परंतु दो बस्तियों में कोई संलग्न इकाईयां नहीं पाई गई थीं तथा शेष बस्तियों में कोई इकाई क्रियात्मक नहीं थी।
- आईएमआईएस डाटा के अनुसार, जिला बंका में पश्चिम कट्सक्रा पंचायत के सभी चार चयनित बस्तियों को सलंग्न इकाईयां प्रदान की गई के रूप में दर्शाया गया था। परंतु इन्हे लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान नहीं पाया गया था।

4.3.3 विशेष योजनाओं की स्थिति

मंत्रालय ने जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने तथा प्रभावित राज्यों को जल गुणवत्ता समस्या का समाधान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक अल्पावधि उपाय के रूप में विशेष योजनाएं प्रारम्भ की।

4.3.2.1 *जलमणि* योजना के अंतर्गत निष्फल व्यय

जलमणि योजना को जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को विद्यालयों में एक लाख स्टैंड अलोन जल शुद्धीकरण प्रणालियों की संस्थापना द्वारा स्वच्छ एवं स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से नवम्बर 2008 में आरम्भ किया गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि छः राज्यों के विद्यालयों में 3,302 जल शुद्धीकरण प्रणालियों में से, ₹4.24 करोड़[29] की कीमत की 2,439 प्रणालियों को या तो संस्थापित नहीं किया गया था या फिर क्रियात्मक नहीं थी। जल शुद्धीकरण प्रणालियों के संबंध में राज्य-वार स्थिति **तालिका 4.7** में दी गई है:

तालिका-4.7: जल शुद्धीकरण प्रणाली की स्थापना के बारे में स्थिति

राज्य	जल शुद्धीकरण प्रणालियों की संख्या			स्थापित नहीं / गैर-कार्यात्मक डब्ल्यूपीएस का मूल्य (₹ करोड़ में)
	संस्थापित	संस्थापित न की गई	गैर-क्रियात्मक	
1	2	3	4	6
आन्ध्र प्रदेश	782	66	91	0.31
असम	377	203	-	0.41
छत्तीसगढ़	362	-	262	0.34
मध्य प्रदेश	770	-	733	1.28
मिजोरम	983	-	949	1.90
तेलंगाना	231	-	135	उपलब्ध नहीं
कुल	**3,302**	**269**	**2170**	**4.24**

इस प्रकार उनके प्रापण पर किया गया ₹4.24 करोड़ का व्यय निष्फल प्रस्तुत हुआ।

[29] 2,403 स्टैंड अलोन जल शुद्धीकरण प्रणाली के संबंध में।

4.3.2.2 नीति आयोग द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का कम उपयोग

जल आपूर्ति योजनाओं की लम्बी सगभर्ता अवधि[30] के कारण तथा अस्वच्छ पेयजल के उपभोग से बचने के लिए नीति आयोग ने फरवरी 2016 में सीडब्ल्यूपीपी की संस्थापना हेतु एकमुश्त सहायता के निर्गम की सिफारिश की। तद्नुसार, 2015-16 के दौरान ₹1,000 करोड़ 1,327 आर्सेनिक प्रभावित तथा 12,013 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में कम से कम 8-10 एलपीसीडी का पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 19 राज्यों[31] को जारी की गई थी।

सितंबर 2017 को, 359 (27 प्रतिशत) आर्सेनिक प्रभावित तथा 2,596 (22 प्रतिशत) फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को ₹574.68 करोड़ (कुल निधी का 57.46 प्रतिशत) की लागत पर शामिल किया गया था। नीति आयोग ने प्रगति की समीक्षा (सितंबर 2017) करते हुए राज्यों को 31 दिसंबर 2017 से पहले सीडब्ल्यूपीपी की संस्थापना पूर्ण करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एकैक वित्तीय सहायता के रूप में जारी ₹319.89 करोड़ चार राज्यों {**आन्ध्र प्रदेश** (₹8.19 करोड़), **केरल** (₹19.73 करोड़), **राजस्थान** (₹197.39 करोड़) तथा **तेलंगाना** (₹94.58 करोड़)} में अप्रयुक्त रहे।

कर्नाटक में मंत्रालय ने नीति आयोग की सिफारिश पर ₹59.90 करोड़ जारी किए (मार्च 2016)। राज्य सरकार ने इस राशि को 18 जिलों (सात चयनित जिलों सहित) को जारी किया था (अगस्त 2016)। यद्यपि तीनों चयनित जिलों (बागलकोट, चित्रदुर्ग तथा माण्डया) ने वित्तीय प्रगति प्रस्तुत की थी लेकिन निष्पादित निर्माण कार्यों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए थे।

महाराष्ट्र में 54 चयनित जीपी में, 177 में से सात बस्तियों में कोई सीडब्ल्यूपीपी नहीं था। इसके अतिरिक्त, छ: विद्यालयों तथा 16 आंगवाड़ियो वाली पांच ग्राम पंचायतो में दो सीडब्ल्यूपीपी संस्थापित किए गए थे। हालांकि "नीति आयोग" के अंतर्गत 2015-16 के दौरान जारी ₹24.08 करोड़ अप्रयुक्त रहे थे।

---

[30] पाईप जल आपूर्ति योजना को पूरा करने में चार से पांच वर्ष लगते है।

[31] सामुदाय जल शुद्धीकरण सयंत्रो (₹800 करोड़) की संस्थापना के संबंध में तथा सतही जल परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए जहां निधियां अंतिम मील संयोजकता (₹200 करोड़) हेतु अपेक्षित थीं।

इस प्रकार, निधियों के गैर उपयोग तथा कार्य की धीमी प्रगति ने गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में पेयजल सुविधा प्रदान करने के लघु अवधि उपाय के मुख्य उद्देश्य को विफल किया।

4.4 स्थायित्व

पेयजल स्रोतों तथा योजनाओं की स्थायित्व भू-जल, पृष्ठ जल तथा छत-जल संचयन के संयुक्त उपयोग के माध्यम से संकट अवधि के दौरान भी स्वच्छ पेयजल को सुनिश्चित करती है। पेयजल की स्थायित्व हेतु योजनाओं का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जल आपूर्ति योजनाएं अपनी पूर्ण रूपांकित अवधि में बाधित नहीं हुई है। इसे स्थायित्व संरचनाओं जैसे कि जल संचयन प्रणालियों, जल रिचार्जिंग प्रणालियों, तथा पृष्ठ जल अवरोधन प्रणालियों, जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का सुधार करने पर लक्षित है, के निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

4.4.1 स्थायित्व योजना तैयार/कार्यान्वित न करना

कार्यनीति योजना (2011-22) यह सुनिश्चित करने हेतु स्थायित्व योजनाओं को तैयार करने की अभिकल्पना करती है कि रिचार्ज तथा जल संचयन सरंचनाओं को वैज्ञानिक तरीके से प्रारम्भ किया गया है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों ने भी अनुबंध किया कि वार्षिक कार्य योजनाओं को वर्ष के दौरान प्रारम्भ की जा रही स्थायी संरचनाओं को दर्शाना चाहिए।

तथापि, स्थायित्व योजनाओं को 14 राज्यों (**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम** तथा **तेलंगाना**) में या तो तैयार नहीं किया गया था या फिर एएपी में शामिल नहीं किया गया था। स्थायित्व योजनाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं था कि स्थायित्व संरचनाओं को एक वैज्ञानिक तरीके से प्रारम्भ किया जा रहा था जिससे कि किए गए व्यय के निष्फल होने से बचा जा सके।

4.4.2 स्थायित्व संघटक पर कम व्यय

यह सुनिश्चित करने हेतु कि जल आपूर्ति योजनाएं योजनाओं की रूपांकित समयावधि के दौरान पूर्णत: कवर से आंशिक रूप से कवर तक बाधित नहीं हुई है, कार्यक्रम

दिशानिर्देशों ने स्थायित्व[32] हेतु 10 प्रतिशत कार्यक्रम निधी के आवंटन का अनुबंध करती हैं जिसका केवल पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाएगा। स्थायित्व सघंटक हेतु निधियों के उपयोग[33] पर डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि केवल पांच राज्य अर्थात् **छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम** तथा **ओडिशा,** व्यय के इस स्तर पर पहुंचे थे तथा 16 राज्यों[34] में व्यय पांच तथा दस प्रतिशत के बीच था तथा यह आठ राज्यों, **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा** तथा **पश्चिम बंगाल** में पांच प्रतिशत से कम था।

24 राज्यों द्वारा स्थायित्व संघटक पर अभिकल्पित स्तरों से कम व्यय ने स्थायित्व संरचनाओं के निर्माण हेतु कम प्राथमिकता को दर्शाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य जिन्होने स्थायित्व संघटक पर दस प्रतिशत से कम निधियों का व्यय किया था, वह उनमें से थे जिनमें स्लिप-बैक बस्तियों की संख्या अधिक थी।

4.4.3 स्थायित्व संरचनाओं का निर्माण

स्थायित्व संरचनाओं की व्यवस्था से संबंधित राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित हुए थे:

अरूणाचल प्रदेश: 1,729 स्थायित्व संरचनाओं के लक्ष्य में से ₹24.86 करोड़ का व्यय करके केवल 245 का ही निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इसकी वजह से 1,484 संरचनाओं की कमी हुई थी जिसके लिए निधियों के कम आवंटन को जिम्मेदार ठहराया गया था।

असम: प्राथमिक विद्यालयों और संस्थागत भवनों में 2010-17 के दौरान निर्मित 2,220 वर्षा जल संचयन प्रणालियों में से, ₹37.81 करोड़ की 1,839 मशीनें रखरखाव के अभाव के कारण काम नहीं कर रही थीं (मार्च 2017)। कुछ मामलों में, संग्रहण टैंक का नल टूटा हुआ था और नालियों के पाइप या तो बंद थे या टूटे हुए थे।

बिहार: राज्य सरकार ने 2012-17 के दौरान, प्वाइंट सोर्स रिचार्जिंग सिस्टम्स के रूप में 70,095 नलकूप लगाने की चार योजनाओं का अनुमोदन किया था। इसमें से, 58,183 नलकूपों को बगैर प्वाइंट सोर्स रिचार्जिंग सिस्टम की व्यवस्था किये

---

[32] 2014-15 तक यह 100 प्रतिशत केन्द्र अंश था, इसके पश्चात 2014-15 से विभाजन प्रतिमान को केन्द्र: राज्य अंश के रूप में 60:40 में परिवर्तित कर दिया गया।

[33] केवल केन्द्रीय आवंटन के संबंध में

[34] असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपूर, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उतराखण्ड

₹288.57 करोड़ की लागत पर लगाया गया था। स्पष्टत:, नलकूपों को मुख्य रूप से बस्तियों के कवरेज हेतु लगाया गया था और स्थायित्व का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया था।

कर्नाटक: दिसंबर 2012 और मार्च 2016 के मध्य ₹0.50 करोड़ की लागत से नौ रोक बांधों के निर्माण से इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ चूँकि उनका निर्माण ऐसी जगहों पर हुआ था जहाँ बहुत सालों से नदी में पानी नहीं था। इसी अवधि के दौरान ₹0.15 करोड़ की लागत से बनाये गये तीन अन्य बांधों को या तो गलत या फिर समुचित योजना नहीं बनने के कारण उपयोग में नहीं लाया गया था या परिव्यक्त कर दिया गया था। यह स्थायित्व कार्य शुरू करने में योजना के अभाव का परिचायक था। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2013 और मार्च 2016 के मध्य ₹1.32 करोड़ की लागत से बनाये गए 11 रोक बांध क्षतिग्रस्त या अतिक्रमित पाये गये थे तथा इन बांधों में पानी का संग्रहण नहीं हो पा रहा था।

राजस्थान: संहिताबद्ध प्रावधानों में निर्माण कार्य की सुपुर्दगी के पूर्व विवादमुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। पीएचईडी मंडल भीलवाड़ा ने (फरवरी 2015) ग्राम पंचायत खेमना में एक ओवरहेड सेवा जलकुंड़, एक कुआँ, रिचार्ज शैफ्ट और रिचार्ज पिट सहित जल सुरक्षा निर्माण कार्य एक ठेकेदार को अगस्त 2015 में पूर्ण करने के लिए ₹0.77 करोड़ की लागत पर दिया था। तथापि, ₹0.64 करोड़ का व्यय होने के बाद एक भूमि विवाद होने के कारण यह निर्माण कार्य दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अगस्त 2017 तक अधूरा पड़ा था।

4.4.4 अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरित न होना

कार्यनीति योजना (2011-22) में परिकल्पना थी कि स्थायित्व योजना में शामिल स्थायित्व सरंचनाओं से संबंधित कार्यों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मगनरेगस) और वाटरशेड विकास कार्यक्रमों जैसे अन्य संबंधित कार्यक्रमों के अभिसरण में शुरू किया जाए और उनका वित्तपोषण हों। इसमें यह सुनिश्चित करने की चेष्टा की गई थी कि श्रम लागत रिचार्जिंग और पृष्ठ जल अवरोधन प्रणालियों को अन्य कार्यक्रमों से पूरा किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थायित्व सरंचनाओं के निर्माण कार्य 23 राज्यों (**अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब,**

राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, और **उत्तर प्रदेश**) में अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण में नहीं किया गया था। अन्य कार्यक्रमों के साथ स्थायित्व से संबंधित कार्यों के अभिसरित नहीं होने के कारण संघटकों के आवंटित निधियों पर परिहार्य मांग बढ़ गया था।

छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश

स्थायित्व के संघटक के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार किसी रिचार्जिंग प्रणाली/पृष्ठ जल अवरोधन सरंचनाओं के श्रम लागत को मगनरेगस/आईडब्ल्यूएमपी निधियों से पूरा किया जाना था। तथापि, **छत्तीसगढ़** में, पीएचई विघुत एवं यांत्रिक प्रभाग, बस्तर एवं रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ था कि 2012-17 के दौरान निष्पादित 3,365 हाइड्रो-फैक्चरिंग वर्क्स का ₹0.43 करोड़ की राशि के श्रम संघटक का भुगतान मगनरेगस /आईडब्ल्यूएमपी से करने की बजाय स्थायित्व संघटक से किया गया था।

उत्तर प्रदेश में, रायबरेली के लघु सिंचाई प्रभाग में, 2014 के दौरान 17 बावडियों के निर्माण हेतु ₹0.89 करोड़ की श्रम लागत मगनरेगस से पूरी नहीं हुई थी।

4.4.5 भू-जल पर निर्भरता

एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों में भू-जल पर निर्भरता को घटाने और पृष्ठ जल स्रोतों का प्रयोग तथा विभिन्न स्रोतों से जल के संयोजक उपयोग को 12वीं योजना अवधि के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या के रूप में समाधान हेतु रेखांकित किया गया था। इसका उद्देश्य भू-जल निष्कर्षण पर भार कम करना और संकटपूर्ण स्थितियों में भी स्वच्छ पेयजल की लंबे समय तक उपलब्धता सुनिश्चित करना था। तथापि, पाइप से जल आपूर्ति योजनाओं का 88 प्रतिशत हिस्से की 12$^{वीं}$ योजना अवधि की समाप्ति तक भी भू-जल स्रोतों पर निर्भरता बनी रही। भू-जल संसाधनों पर आधारित पाइप द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की भागीदारी **चार्ट-4.7** में दर्शायी गयी है:

चार्ट-4.7: विभिन्न जल स्रोतों के अंतर्गत कवर पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं

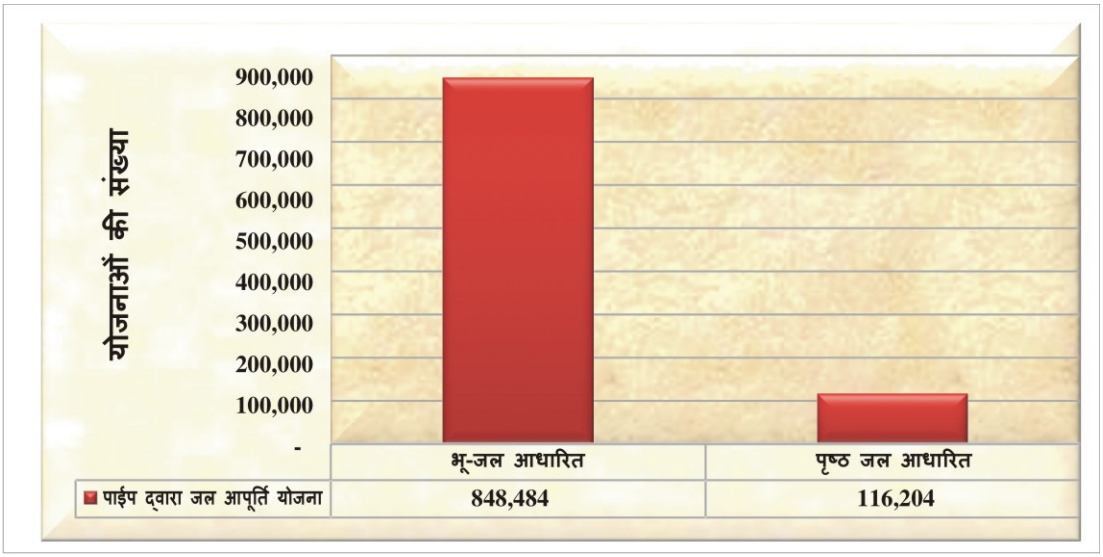

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा आधारित

भू-जल स्रोतों पर पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं का प्रतिशत **आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा** और **उत्तर प्रदेश** राज्यों में 88 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक था।

भू-जल पर अत्यधिक निर्भरता से लंबे समय तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ और इससे बस्तियों के यथास्थिति में लौटने की प्रवृति बढ़ी।

4.5 परिचालन और अनुरक्षण

स्थायित्व आधार पर आवश्यक मात्रा में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए परिचालन और अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी महता यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि पूर्ण की गयी योजनाएं यथास्थिति की ओर न लौटें तथा मूल्यवान निवेश स्वच्छ रहे। अत: कार्यक्रम दिशानिर्देशों में ओ एण्ड एम योजनाओं को तैयार करने, ओ एण्ड एम गतिविधियों के लिए वित्तपोषण हेतु पर्याप्त और दीर्घकालिक स्रोतों का प्रावधान; पीआरआई द्वारा जीपी में योजनाओं के प्रबंधन और उनके द्वारा प्रबंधित योजनाओं के ओ एण्ड एम हेतु पीआरआई को निधियों के न्यागमन/हस्तांतरण हेतु व्यवस्था की गयी है।

4.5.1 परिचालन एवं अनुरक्षण योजना का तैयार न होना

एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों में, राज्यों द्वारा मंत्रालय के ओ एण्ड एम नियमपुस्तिका का प्रयोग करने या अपने लिए एक राज्य विशिष्ट ओ एण्ड एम तैयार करने का प्रावधान[35] है। मंत्रालय के ओ एण्ड एम नियमपुस्तिका में प्रत्येक प्रमुख इकाई के लिए और प्रत्येक योजना के लिए सर्वांगीण रूप से नियमित-कार्यों, निर्धारित अंतराल के बाद नियंत्रण और निरीक्षण सहित एक ओ एण्ड एम योजना तैयार करने की परिकल्पना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 राज्यों (**आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार[36], छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान[37] सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश** और **उत्तराखंड**) में नियमित कार्यों, नियंत्रणों एवं निरीक्षणों हेतु योजना-वार ओ एण्ड एम योजनाएं तैयार नहीं की गयी थीं। ओ एण्ड एम योजनाओं के अभाव में, यह निश्चित नहीं था कि योजनाओं में अनुरक्षण आवश्यकताओं एवं परिचालन समस्याओं की पहचान के लिए अपेक्षित नियंत्रण एवं निरीक्षण किये जा रहे थे।

4.5.2 ओ एण्ड एम संघटक के अंतर्गत निधियों का आवंटन एवं उपयोग

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 15 प्रतिशत राज्यों द्वारा ओ एण्ड एम हेतु उपयोग में लायी जा सकती है और इसके साथ ही राज्य अपना अंशदान करेंगे, जिसे वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पीआरआई को अनुदान के रूप में प्रदत्त निधियों के साथ पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर ओ एण्ड एम व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जाएगा। राज्यों को पीआरआई को उनके द्वारा प्रबंधित योजनाओं के ओ एण्ड एम हेतु आवश्यक ओ एण्ड एम निधियों का अंतरण करना चाहिए। ओ एण्ड एम संघटक[38] पर व्यय के विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि ओ एण्ड एम पर व्यय सात राज्यों यथा- **बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, सिक्किम** एवं **तेलंगाना** में कार्यक्रम निधि के 10 प्रतिशत से कम हुआ था। अन्य सात राज्यों यथा- **अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा,**

---

[35] पैरा 9.7

[36] परिचालन एवं अनुरक्षण योजना केवल प्रमुख योजनाओं के लिए तैयार की गयी थी

[37] विभाग ने ऐसी योजना होने का दावा किया था। तथापि, सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

[38] आईएमआईएस की विवरण संख्या डी 13

राजस्थान, तमिलनाडु और **उत्तराखंड** में इसका प्रतिशत 10 से 15 प्रतिशत के मध्य था।

योजनाओं के संचायन एवं अनुरक्षण पर बल की यह कभी योजनाओं के परिचालन के बंद होने का कारण बनी, जिस पर पैरा 4.5.4 में चर्चा की गयी है।

4.5.3 ओ एण्ड एम में पीआरआई की संलग्नता का अभाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूरी की गयी जल आपूर्ति योजनाएं नौ राज्यों यथा- **अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रेदश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम** और **नागालैण्ड** में पीआरआई को आंशिक रूप से सुपुर्द की गयी थीं। **असम, बिहार, मेघालय** और **त्रिपुरा** इन चार राज्यों में, कार्यक्रम दिशानिर्देशों की व्यवस्थानुसार प्रभावकारी ओ एण्ड एम हेतु जल आपूर्ति योजनाओं को पीआरआई को नहीं सौंपा गया था। **अरूणाचल प्रदेश** और **नागालैण्ड** के दो राज्यों में , यद्यपि ओ एण्ड एम गतिविधियों को पीआरआई के पास हस्तांतरित कर दिया गया था, संबंधित निधियों को उन्हें सौंपा नहीं गया था। **नागालैण्ड** में, राज्य ने दावा किया था कि चयनित जिलों को हस्तांतरित दर्शायी गयी ओ एण्ड एम निधियां उन्हे प्राप्त हो गयी थीं लेकिन प्रत्यक्ष सत्यापन में प्रकट हुआ कि इन निधियों को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अत: कार्यक्रम उद्देश्यों एवं दिशानिर्देशों के विपरीत, पीआरआई और स्थानीय समुदायों का पेयजल आपूर्ति योजनाओं में समग्र भागीदारी बहुत कम और पूरे राज्य के मध्य असमान रूप में पायी गयी थी।

असम

स्टोर तथा वर्कशाप प्रभाग, गुवाहाटी ने, ₹83.02 करोड़ के मूल्य पर डायरेक्ट एक्शन हैंडपम्प (डीएचपी) हेतु धीमी गति से चलने वाले अतिरिक्त कल पुर्जों के 37,471 सैट प्राप्त किए। 2011-15 के दौरान 25 मदों से बने प्रत्येक सैट की आपूर्ति दो डिब्बों (बॉक्स -I और बॉक्स -II) की गई थी। 37,471 सैटों में से 18,765 सैट स्टॉक में बचाते हुए (जुलाई 2017) 18,706 सैट (डिब्बा-1) डीएएचपी की मरम्मत हेतु कार्यकारी पीएचई मंडलों को जारी किए गए थे। प्रभागों को जारी किए 18,706 सैटों में से 5,220 सैट (बॉक्स -I) 13 चयनित प्रभागों द्वारा प्राप्त किए गए थे। इनमें से 3,418 सैट स्टॉक में बचाते हुए 1802 सैट चयनित प्रभागों द्वारा उपयोग किए गए थे।

प्रभागीय अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त कलपुर्जों के सैट इनकी मांग किए बिना प्राप्त किए गए थे। प्रतिष्ठान के पश्चात डीएएचपी को सौंप दिए गए थे तथा समुदाय स्वयं द्वारा इनका अनुरक्षण किया गया था। इस प्रकार, डीएएचपी हेतु धीमी गति से चलने वाले अतिरिक्त कलपुर्जों का प्रापण अविवेकपूर्ण था।

4.5.4 योजनाओं का क्रियाशील न होना

पर्याप्त और दक्ष ओ एण्ड एम यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि जल आपूर्ति योजनाएं क्रियाशील रहे। 17 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश**, **असम**, **छत्तीसगढ़**, **गुजरात**, **जम्मू एवं कश्मीर**, **झारखण्ड**, **कर्नाटक**, **केरल**, **मध्य प्रदेश**, **महाराष्ट्र**, **मेघालय**, **नागालैण्ड**, **ओडिशा**, **राजस्थान**, **तमिलनाडु**, **त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश)** में अभिलेखे की नमूना जांच से पता चला कि 1,03,486 जल आपूर्ति योजनाएं उन कारणों जिसमें अपर्याप्त अनुरक्षण शामिल था**,** के कारण अक्रियाशील हो गयी थी।

यद्यपि, बस्तियों में अविरत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ओएंडएम अनिवार्य हैं, आवंटित निधियों का उपयोग न होना और ओएंडएम गतिविधियों के प्रबंधन में कमियां जल आपूर्ति योजनाओं के प्रबंधन में पीआरआई के अपर्याप्त आवेदन में संयोजित हो गई जिससे उसकी प्रभाविकता तथा पर्याप्तता से समझौता किया गया।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि नवम्बर 2017 में अनुमोदित कार्यक्रम को पुनर्रचित करने पर अक्रियाशील योजनाओं की समस्या के बारे में बताया जाएगा क्योंकि वह तृतीय दल सर्वेक्षण के मध्यम से कार्यशील होना पाई गई पूर्ण पाइप

द्वारा जल योजनाओं की प्रतिशतता के साथ निधियों के 25 प्रतिशत आवंटन से सम्बद्ध होता है।

4.6 स्लिप-बैक बस्तियों का बना रहना

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम पर सी एंड एजी की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2008 की सं.12) में पूर्ण रूप से आंशिक रूप तक कवर बस्तियों के स्लिप-बैक की समस्या को उजागर किया गया था। मंत्रालय ने यह बताते हुए कि फिसलन अपरिहार्य थी, सूचित किया था कि उसने स्थायित्व पर केन्द्रित करके अपनी नीति को संशोधन किया ताकि फिसलन की घटना को कम किया जा सके। पीएसी ने 2011-12 के प्रतिवेदन सं. 35 में अनुशंसा की थी कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब बस्तियां और स्लिप-बैक न हो, राज्यों पर दबाव डालना चाहिए। तथापि, 2012-2017 की अवधि के दौरान 4.76 लाख बस्तियां स्लिप-बैक हो गए थे। इस अवधि के दौरान निवासस्थान का **चार्ट-4.8** में दिया गया है।

चार्ट-4.8

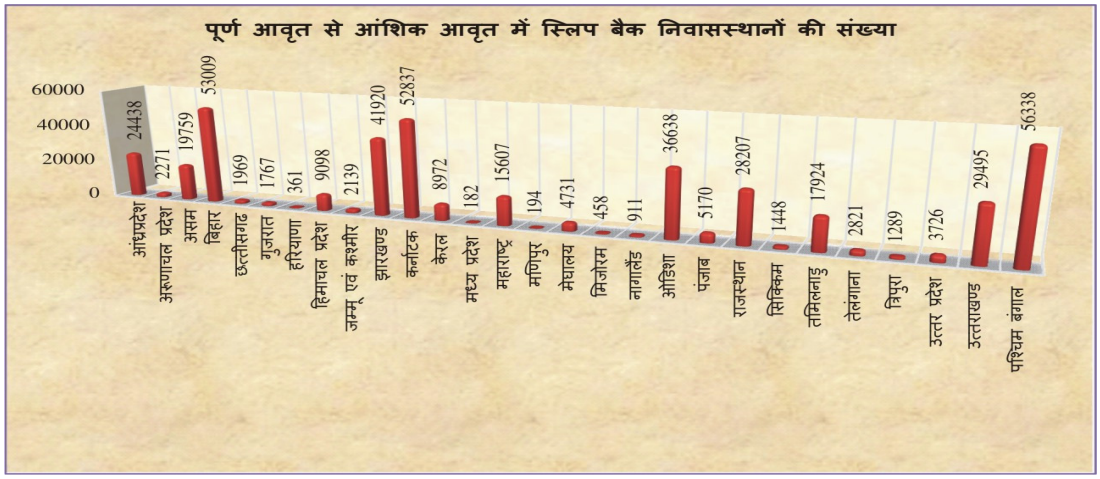

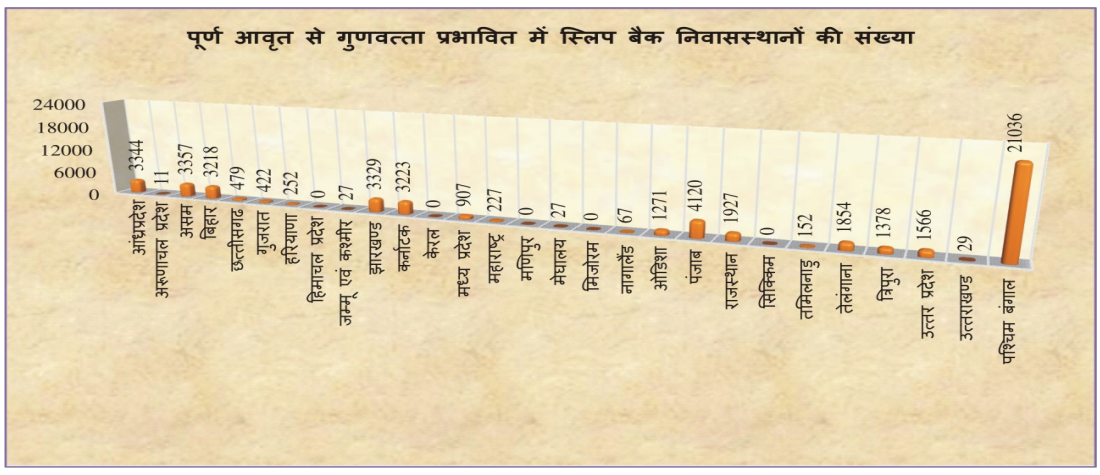

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

यह स्पष्ट है कि स्लिप-बैक बस्तियों की घटना निरन्तर बनी हुई थी। **आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखण्ड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखण्ड** तथा **पश्चिम बंगाल** में स्लिप-बैक बस्तियों की संख्या चिन्हित रूप से अधिक थी। पूर्ण रूप से कवर से आंशिक रूप से कवर श्रेणी के बस्तियों के स्लिपंग बैक के कारण भू-जल का अत्याधिक निष्कर्षण होना, गुणवत्ता संबंधित पहलुओं का पता लगाने के लिए अपर्याप्त प्रयास करना, जल स्रोतों की स्थायित्व का अभाव होना तथा जल आपूर्ति योजनाओं का अपर्याप्त/अननुरक्षण करना हैं।

4.7 सहायक गतिविधियां

सहायक गतिविधियों में (i) डब्ल्यूएसएसओ तथा डीडब्ल्यूएसएम द्वारा परामर्शदाताओं की नियुक्ति, (ii) बीआरसी की स्थापना तथा उसे चालू करने के लिए (iii) सहायता जागरूकता सृजन तथा प्रशिक्षण गतिविधियां, (iv) जिला और उपमंडलीय स्तर पर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सहायता देना, (v) राज्यों से संबंधित अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां तथा (vi) एसटीए की नियुक्ति शामिल है। सहायक गतिविधियों के अंतर्गत 2012-17 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता नीचे **चार्ट-4.9** में दी गई है:

चार्ट-4.9: गतिविधियों के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन: 2012-17

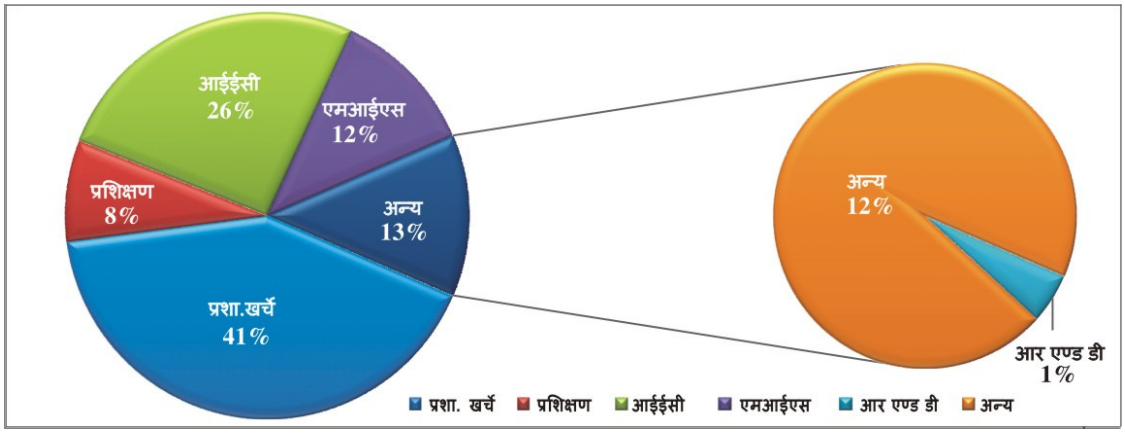

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

इस प्रकार, सहायक गतिविधियों पर व्यय सर्वाधिक रूप से (41 प्रतिशत) प्रशासन तथा स्थापना पर किया गया था तथा कार्यात्मक पहलुओं जैसे आईईसी, प्रशिक्षण तथा आरएंडडी ने व्यय का बहुत थोड़ा हिस्सा लेखाबद्ध किया था।

4.7.1 सहायक गतिविधि योजना की तैयारी/कार्यान्वयन न होना

सहायक गतिविधियों हेतु ऐसे क्षेत्रों जैसे सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी), प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण से बनने वाली कार्य-योजना आवश्यकता-आधारित होनी चाहिए तथा एसएलएसएससी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पहले या आरंभ में अनुमोदित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक गतिविधियों हेतु कार्य योजनाएं **आन्ध्र प्रदेश**, **सिक्किम** तथा **तेलंगाना** में या तो तैयार नहीं की गई थी या एएपी में शामिल नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने 19 राज्यों (**आन्ध्र प्रदेश**, **असम**, **बिहार**, **गोवा**, **हिमाचल प्रदेश**, **अरूणाचल प्रदेश**, **जम्मू व कश्मीर**, **केरल**, **मध्य प्रदेश**, **महाराष्ट्र**, **मणिपुर**, **मेघालय**, **मिजोरम**, **नागालैण्ड**, **पंजाब**, **राजस्थान**, **सिक्किम**, **तेलंगाना** तथा **त्रिपुरा**) सहायक गतिविधियों के लिए रखी निधियों का कम उपयोग लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में विफलता तथा आर एवं डी गतिविधियों का अभाव भी पाया जैसाकि **अनुबंध-4.3** में दिया गया है।

एनआरडीडब्ल्यूपी एक मांग आधारित और समुदाय आधारित कार्यक्रम है जहाँ प्रभावशाली और रचनात्मक सूचना उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईईसी के प्रशिक्षण तथा क्षमता भवन गतिविधियों के अभाव के परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय में जागरूकता तथा प्रेरणा कम रही जिसने योजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- 773 जीपी में से 666 (86 प्रतिशत) में विशिष्ट पैरामीटरों सहित जल गुणवत्ता जांच के परिणामों को प्रदर्शित नहीं किया गया था तथा 564 जीपी (73 प्रतिशत) को जल संदूषण की चेतावनियां/परिणाम सूचित नहीं किए गए थे।
- 497 जीपी से सूचना, शिक्षा, संचार, मानव संसाधन विकास तथा अन्य जागरूक गिविधियां कार्यान्वित नहीं की गई थी
- 21,112 (75 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि उनको कोई प्रशिक्षण या जागरूकता लाने वाली आईईसी गतिविधियां कभी भी प्रदान नहीं की गई।

4.8 जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी कार्यक्रम (डब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी) फरवरी 2006 में प्रारंभ किया था उसके पश्चात अप्रैल 2009 से एनआरडीडब्ल्यूपी में शामिल कर दिया गया। मंत्रालय द्वारा फरवरी 2013 में एक एकरूप पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकोल (यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी) जारी किया गया था। इस प्रोटोकोल में, राज्यों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को बताता है। इन प्रयोगशालाओं के लिए अवसंरचना, मानवशक्ति तथा जल गुणवत्ता जांच सुविधाओं के संबंध में भी मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

कार्यक्रम निधियों का तीन प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी के संघटक डब्ल्यूक्यूएमएंडएस के लिए आवंटित किया जाना होता है। इन निधियों का क्षेत्रीय स्तर पर बस्तियों में जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग तथा निगरानी और राज्य, जिला तथा उपजिला स्तरों पर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उन्नयन हेतु उपयोग किया जाना होता है। निधियों की उपलब्धता और उपयोग **अध्याय-III** में तालिका- 3.3 में दिए गए हैं।

4.8.1 जल गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाओं, अवसंरचना तथा उपकरण की कमी

सात राज्यों (**छत्तीसगढ**, **जम्मू व कश्मीर**, **कर्नाटक**, **महाराष्ट्र मेघालय**, **सिक्किम** और **उत्तराखण्ड**) में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई थी। 20 राज्यों में, जहाँ राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं (एसएलएल) स्थापित की गई थी, 15 के पास एनएबीएल प्रत्यायन था। इसके अतिरिक्त, स्थापित 20 एसएलएल में से ओडिशा स्थित केवल एसएलएल की यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी 78 मानदण्डों की जांच करने की क्षमता थी। नौ[39] एसएलएल में अपेक्षित तकनीकी मानवशक्ति नहीं थी। दस[40] एसएलएल उपर्युक्त संदर्भित प्रोटोकोल में निर्धारित जांच सुविधाएं तथा अवसंरचना के अनुसार पर्याप्त रूप में उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

---

[39] **आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश**

[40] **आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम नगालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश**

उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी चयनित राज्यों में, जल गुणवत्ता जांच हेतु अवसंरचना की उपलब्धता जैसे जिला तथा उप मंडलीय स्तरों पर प्रयोगशालाएं, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन, अभिकल्पित पैरामीटरों के साथ प्रयोगशालाओं का अनुपालन और मानवशक्ति और उपकरण की उपलब्धता के संबंध में कमियां पाई गई थी जिससे विस्तृत ब्यौरे **अनुबंध- 4.4** में दिए गए है।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित भी पाया:

असम में, पीएचई मंडल के पास ₹69.96 लाख मूल्य के दो गतिशील प्रयोगशाला जांच अगस्त 2015 से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी थी। **गुजराज** के बडोदरा तथा जूनागढ़ जिलों में ₹0.52 करोड़ की लागत पर प्राप्त (अगस्त 2014) की गई दो गतिशील जल जांच प्रयोगशालाओं को तीन महीने की अल्प अवधि में उपयोग करने के अतिरिक्त चालकों और कैमिस्टों के अभाव में उपयोग में नहीं लाया गया था। **उत्तर प्रदेश** में, एसएलएसएससी ने जल स्रोतों की नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए 10 गतिशील जल जांच प्रयोगशालाओं का अनुमोदन किया (जनवरी 2015)। इस उद्देश्य हेतु ₹5 करोड़ राशि की निधियां जुलाई 2015 में जारी की गई थी लेकिन गतिशील प्रयोगशालाओं को अभी तक प्राप्त किया जाना था (जुलाई 2017)।

कर्नाटक में, मार्च 2014 और मार्च 2015 के दौरान ₹92.10 करोड़ की लागत पर 100 ब्लॉक स्तरीय जल जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थी। तथापि, इन प्रयोगशालाओं के उचित रूप से कार्य न करने के कारण संबंधित विभाग ने ऐजेंसी जो अप्रैल 2017 में प्रयोगशालाएं चला रही थी, के साथ ठेका निरस्त कर दिया। राज्य में ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं, जल जांच हेतु किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में मई 2017 से पूरी तरह अक्रियात्मक रहीं।

राजस्थान में, 165 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं का ठेका मार्च 2016 में समाप्त हो गया था। इनको चलाने के लिए नए ठेके हेतु निविदा प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप दिया जाना था (मार्च 2017)। इस प्रकार, ब्लॉक स्तरों पर जल जांच की सुविधा मार्च 2016 से उपलब्ध नहीं है।

जल गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाओं, अवसंरचना तथा उपकरण के प्रावधान में ऐसे अंतरों ने निर्धारित जल गुणवत्ता जांच करने में व्यापक रूप से कमियां होने में सहयोग दिया जैसाकि निम्न पैरा 4.8.2 में चर्चा की गई है।

4.8.2 जल गुणवत्ता जांच में कमी

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार 100 प्रतिशत स्रोतों की जीवाणु तत्व सम्बन्धी तथा रासायिनिक संदूषण दोनों हेतु उपमंडलीय स्तर पर प्रयोगशालाओं में जांच की जानी थी। रासायनिक तथा भौतिक मानदण्डों हेतु वर्ष में एक बार तथा जीवाणु तत्व संबंधी मानदण्डों के लिए मॉनसून से पूर्व तथा पश्चात के महीनों के दौरान एक वर्ष में दो बार जांच की जानी अपेक्षित थी। जिला स्तरीय प्रयोगशाओं में उप मंडलीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त सकारात्मक जांच नमूनों सहित 10 प्रतिशत नमूनों की जांच करना अपेक्षित था। राज्य प्रयोगशाला को जल नमूनों का नियमित क्रॉस सत्यापन करना था। कार्यक्रम दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित था कि सभी ग्राम पंचायतों और जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं प्रारंभिक जांच हेतु फील्ड जांच किटों (एफटीके) का उपयोग करेंगी।

नमूना जांच से एक वर्ष के दौरान सभी जल स्रोतों की तीन निर्धारित जांच[41] करने के संबंध में सभी चयनित राज्यों में कमियां प्रकट हुई। इसके अतिरिक्त मानदण्डों के प्रति तथा नमूना पर अभिकल्पित जांच को निष्पादन के संबंध में कमियां थी। राज्यों द्वारा कमियों के लिए उन कारणों जैसे प्रयोगशालाओं का कार्य न करना तथा उपकरण, मानवशक्ति तथा निधियों के अभाव को आरोपित किया गया था। विवरण **अनुबंध-4.5** में दिए गए है।

इसके अतिरक्त, एफटीके न तो अपेक्षित संख्या में प्राप्त किए गए थे और न ही जो प्राप्त किए गए थे उनका निर्धारित जांच करने में पूर्णत: उपयोग किया गया था। पांच राज्यों में **(आन्ध्र प्रदेश**, **असम**, **झारखण्ड**, **ओडिशा** तथा **उत्तर प्रदेश)** ₹6.50 करोड़ मूल्य के 13.25 लाख एफटीके/रिफिल्स का उपयोग नहीं किया गया था तथा उनकी शेल्फ अवधि समाप्त हो गयी थी और किटो/रिफिल्स पर किया गया व्यय निष्फल हो गया।

चयनित राज्यों की नमूना जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

आन्ध्र प्रदेश: चयनित जिलों की बस्तियों के जल नमूना जांच रिपोर्टों के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित प्रयोगशालाओं ने स्वच्छ/पेयजल सूचित किया हालांकि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुसार स्वीकार्य अनुज्ञेय

[41] दो जीवाणु तत्व संबंधी (मॉनसून से पूर्व तथा पश्चात) तथा एक रसायनिक जांच

सीमाएं बढ़ गई थी और विभाग ने आबादी को अस्वच्छ जल उपलब्ध कराना जारी रखा।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने, **आन्ध्र प्रदेश** के नागार्जुन सागर तथा कडपा क्षेत्रों में यूरेनियम संदूषण की विद्यमानता की पहचान की तथा मंत्रालय को सूचित किया (मार्च 2014)। मंत्रालय ने सुझाव दिया (मार्च 2014) कि यूरेनियम को जांच करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) की सहायता ली जा सकती है। तथापि, पेयजल में यूरेनियम संदूषण की जांच करने के लिए सुविधाओं का सृजन करने हेतु कोई कार्यवाई प्रारंभ नहीं की गई थी (जुलाई 2017)।

ओडिशा: केन्द्रीय भू-जल बोर्ड डाटा के अनुसार 30 जिलों में से 28 में भू-जल नाइट्रेट से संदूषित था। लेकिन प्रयोगशाला अधिदेसात्मक मानदण्डों जैसे नाइट्रेट, आर्सेनिक, अल्क्लाइनिटी की जांच नहीं कर रही थी (जनवारी 2017)

कर्नाटक

भौतिक सत्यापन करने के दौरान यह पाया गया था कि चयनित जिलों में 15 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं में या तो स्टाफ पर्याप्त नहीं थे या प्रशिक्षित नहीं थे। परिणामत: प्रयोगशालाओं ने अभिकल्पित जांच नहीं किए थे तथा उपकरण या तो उपयोग नहीं किए जा रहे थे या क्रियात्मक नहीं थे। यह पाया गया था कि जांच परिणामों को, संबंधित विभागीय प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए बिना तथा सभी मानदण्डों पर पानी के नमूनों पर जांच किए बिना आईएमआईएस पर अपलोड किया जा रहा था। इन प्रयोगशालाओं द्वारा संदूषित सूचित किए गए नमूना में से कोई भी पुन: जांच हेतु जिला प्रयोगशालाओं को नहीं भेजा गया था। विभागीय प्राधिकारियों ने बस्तियों को संदूषित रूप में मानने से पहले पुन: जांच के लिए जोर नहीं डाला तथा बस्तियों में निर्माण कार्य करना आरंभ कर दिया। परिणामत: जल गुणवत्ता जांच की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा बस्तियों को गुणवत्ता प्रभावित के रूप में घोषित करना दोषपूर्ण था।

विभाग ने उपर्युक्त उल्लिखित अनियमितताओं पर एजेंसी के साथ ठेका निरस्त कर दिया (अप्रैल 2017)। परिणामत: राज्य में ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं, जल-जांच हेतु कोई वैकल्पिक प्रबंध किए बिना मई 2017 से पूर्ण रूप से अक्रियात्मक रही।

जल स्रोतों की निर्धारित जांच में कमियों ने बस्तियों तथा परिवारों को संदूषित जल की आपूर्ति के जोखिम को बढ़ा दिया तथा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कार्यक्रम उद्देश्य को नष्ट कर दिया था।

4.8.3 जल गुणवत्ता जांच की समीक्षा न होना।

एकरूप पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकोल के अनुसार, राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं का कार्यान्वयन विभाग के कार्यकारी अभियंता को प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट करने वाले मुख्य रसायनज्ञ का अध्यक्ष होना अपेक्षित था। मुख्य रसायनज्ञों को जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग हेतु एक नीति बनाने के योग्य करने के लिए जल गुणवत्ता जांच रिपोर्टों की वार्षिक समीक्षा का कार्य करना था। तथापि, 20 राज्यों में (**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा** तथा **उत्तर प्रदेश**) मुख्य रसायनज्ञ द्वारा विभिन्न स्तरीय प्रयोगशालाओं की जल गुणवत्ता जांच रिपोर्टों की ऐसी कोई वार्षिक समीक्षा नहीं की गई थी।

4.9 लेखापरीक्षा सारांश

प्रदेय जिन्हें 2017 तक प्राप्त किए जाने थे, को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य फोकस तथा प्राथमिकता की कमी के परिणामस्वरूप उनको प्राप्त नहीं किया गया। दिसम्बर 2017 तक सभी ग्रामीण बस्तियों, सरकारी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को कवर करने के लक्ष्य के प्रति स्वच्छ पेयजल केवल 44 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों तथा 85 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी को ही उपलब्ध कराया जा सका। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2017 तक 50 प्रतिशत परिवारों/जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने (55 एलपीसीडी) तथा कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घर के कनेक्शन देने के प्रदेय कार्यक्रम के प्रति दिसम्बर 2017 तक वास्तविक उपलब्धि क्रमश: केवल 18.4 प्रतिशत तथा 16.8 प्रतिशत थी। ऐसे निर्माणकार्य विशेषरूप से एक बार सौंपे गए निर्माणकार्यों के अनवरूद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उचित स्थल जांच अनिवार्य हो, के कार्यान्वयन से संबंधित संहिता प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्माणकार्य अपूर्ण, छोड़ दिए गए या अक्रियात्मक रहे। ऐसी कमियों की वित्तीय विवक्षा के साथ ठेका प्रबंध में उपकरण तथा अंतरों पर अनुत्पादकारी व्यय ₹2,212.44 करोड़ परिकलित किया गया था।

कार्यान्वयन प्राधिकरण भी जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर पर्याप्त ध्यान देने में विफल रहे तथा न्यूनीकरण उपायों जैसे समुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र को प्रबन्ध करने में भारी कमियां थी। स्थायित्व संघटक के मामले में कई राज्यों में योजनाएं नहीं बनाई गई थी तथा इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित नहीं की गई थी। ओ एंड एम, जो बस्तियों में अविरत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, अपर्याप्त था तथा उसकी पीआरआई द्वारा व्यवस्था नहीं की जा रही थी। जल आपूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता, स्थायित्व तथा अनुरक्षण के संबंध में अपर्याप्त प्रयासों के परिणामस्वरूप बस्तियों के स्लिप-बैक का प्रभाव अधिक होना जारी रहा।

इस प्रकार, अधिक परिव्यय तथा विस्तृत तंत्र प्रदान करने के बावजूद कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अंतर रहे जिसने स्थायित्व आधार पर पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल प्रबन्ध करने के लक्ष्यों तथा कार्यक्रम प्रयोजना की प्राप्ति को प्रभावित किया।